



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-08032024-252771
CG-MH-E-08032024-252771

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165]
No. 165]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2024/फाल्गुन 18, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2024/PHALGUNA 18, 1945

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 8 मार्च, 2024

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचकांक प्रदाता) विनियम, 2024

इस विनियम के माध्यम से प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में सूचकांक प्रदाताओं (इंडेक्स प्रोवाइडर) हेतु विनियामक ढाँचा निर्धारित किया गया है, ताकि सूचकांकों के संचालन-व्यवस्था एवं प्रबंधन के संबंध में पारदर्शिता लाई जा सके और जवाबदेही आदि तय की जा सके

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/167.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) और धारा 12 के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

अध्याय - I

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (1) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचकांक प्रदाता (इंडेक्स प्रोवाइडर)] विनियम, 2024 कहा जा सकेगा |

(2) ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से एक सौ अस्सीवें दिन से लागू होंगे ।

परिभाषाएँ

2. (1) इन विनियमों में जिन शब्दों आदि की परिभाषाएँ दी गई हैं, उनका अर्थ तब तक निम्नानुसार ही रहेगा, जब तक कि उनका संदर्भ कुछ और न हो, और उनके जैसे शब्दों तथा ऐसे जिन शब्दों के रूप कुछ बदल गए हों उनका अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा,-

(क) “अधिनियम” का अर्थ है - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15);

(ख) “प्रबंधन” का अर्थ है - बेंचमार्क या सूचकांक बनाने और उसकी ‘जानकारी आदि उपलब्ध कराने’ से जुड़ी समस्त अवस्थाएँ एवं प्रक्रियाएँ, और इसमें शामिल है -

(i) बेंचमार्क या सूचकांक तय करने के उद्देश्य से जानकारी एकत्र करना, उसका विश्लेषण करना या उसके अनुसार कार्यवाही आदि करना अथवा राय देना;

(ii) कोई फॉर्मूला लगाकर अथवा दी गई जानकारी या राय का आकलन करके बेंचमार्क या सूचकांक तय करना; और

(iii) ग्राहकों को जानकारी आदि उपलब्ध कराना, जिसमें इस प्रक्रिया की समीक्षा करना और उसमें बदलाव आदि करना भी शामिल है;

(ग) “पूरे पिछले रिकॉर्ड” (ऑडिट ट्रेल) का अर्थ है - बेंचमार्क तय करने की प्रक्रिया में जिस-जिस डाटा का, “प्रस्तुत की गई जानकारी आदि” का, अन्य जानकारी का, लिए गए निर्णयों का (इस तर्क सहित कि कोई डाटा किस आधार पर लिया गया या नहीं लिया गया) और विश्लेषण का इस्तेमाल किया गया उसका और “जानकारी आदि प्रस्तुत करने वालों” (सबमिटर) का पूरा रिकॉर्ड तथा उनसे संबंधित दस्तावेज एक उपयुक्त अवधि तक संभालकर रखना;

(घ) “बेंचमार्क” या “सूचकांक” का अर्थ है - वे कीमतें, अनुमान, दर या मूल्य, जिनका इस्तेमाल प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के संदर्भ में किया जाता हो, और:

(i) जो भी ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाए; फिर चाहे निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए या कोई शुल्क आदि लेकर उपलब्ध कराया जाए;

(ii) जिसकी गणना समय-समय पर की जाए; फिर चाहे वह गणना, संपूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, कोई फॉर्मूला लगाकर की जाए या किसी और तरीके से की जाए या फिर एक या एक से अधिक अंडरलाइंग इंटररेस्ट का मूल्य निकालकर की जाए;

(iii) जिसका इस्तेमाल कुछ ऐसे उद्देश्यों से किया जाए, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है :

1. वह कीमत तय करने के लिए, जिस कीमत पर कोई वित्तीय लिखत (फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट) खरीदा या बेचा जा सके या फिर जिस कीमत पर उसमें ट्रेडिंग की जा सके या उसे भुनाया जा सके, और या फिर किसी वित्तीय लिखत (फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट) का मूल्य तय करने के लिए; या
 2. यह आकलन करने के लिए कि उस वित्तीय लिखत (फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट) का प्रदर्शन कैसा रहा;
- (ड) “बोर्ड” का अर्थ है - अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (क) में यथा परिभाषित बोर्ड;
- (च) “निगमित निकाय” (बॉडी कारपोरेट) का अर्थ है - कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18 की धारा 2 की उप-धारा (11) में यथा परिभाषित निगमित निकाय;
- (छ) “प्रमाणपत्र” का अर्थ है - इन विनियमों के तहत बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र;
- (ज) “नियंत्रण में परिवर्तन”, का अर्थ, निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) के मामले में,-
- (क) यदि उसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों, तो अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ज) के तहत बनाए गए विनियमों में दी हुई नियंत्रण की परिभाषा के संदर्भ में लगाया जाएगा;
 - (ख) यदि उसके शेयर किसी भी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) न हों, तो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा (27) में दी हुई नियंत्रण की परिभाषा के संदर्भ में लगाया जाएगा;
- (झ) “जानकारी आदि प्रस्तुत करने वाले” (सबमिटर) का अर्थ है - बेंचमार्क या सूचकांक तय करने के संबंध में सूचकांक प्रदाता को जानकारी उपलब्ध कराने वाला व्यक्ति;
- (ञ) “डाटा उपलब्ध कराने” का अर्थ है - बेंचमार्क या सूचकांक की गणना करने के संबंध में ऐसा कोई डाटा उपलब्ध कराना, जो सूचकांक प्रदाता के पास तत्काल उपलब्ध न हो;
- (ट) “विवेकाधिकार से लिए गए निर्णय” का अर्थ है - बेंचमार्क तय करते समय किस डाटा का इस्तेमाल करना है यह निर्णय सूचकांक प्रदाता या “जानकारी आदि प्रस्तुत करने वाले” (सबमिटर) द्वारा अपने विवेकाधिकार से लिया जाना (हालांकि यह निर्णय जिन तर्कों के आधार पर लिया जाएगा, उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा), और इसमें पहले किए गए लेनदेन (ट्रान्जेक्शन) या संबंधित लेनदेन के आधार पर मूल्य निकालना या उनके आधार पर मूल्य बढ़ाना-घटाना भी शामिल है, जिनके कारण डाटा की क्वालिटी पर असर पड़ सकता हो, जैसे कि बाजार में घटी घटनाएँ या किसी खरीदार या बेचने वाले की ऋण चुकाने की क्षमता गिरना;
- (ठ) “फॉर्म” का अर्थ है - पहली अनुसूची में निर्धारित किया गया कोई फॉर्म;
- (ड) “सूचकांक प्रदाता” का अर्थ है - वह व्यक्ति जिसके हाथों में बेंचमार्क या सूचकांक बनाने तथा उसके प्रबंधन आदि के कार्यों का नियंत्रण हो [फिर भले ही उसके पास उस बेंचमार्क या सूचकांक से संबंधित बौद्धिक संपदा (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) अधिकार हों या न हों], और जो खास तौर पर, उस बेंचमार्क या सूचकांक के प्रबंधन की प्रक्रिया के हर स्तर के कार्यों आदि के लिए जिम्मेदार हो, जिसमें शामिल है:
- (i) बेंचमार्क या सूचकांक की गणना करना;

- (ii) बेंचमार्क या सूचकांक तय करने के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति निर्धारित करना और उसे अमल में लाना; और
- (iii) बेंचमार्क या सूचकांक की “जानकारी आदि उपलब्ध कराना”;
- (ढ) “पद्धति” का अर्थ है - वे लिखित नियम और प्रक्रियाएँ, जिनके अनुसार जानकारी एकत्र की जाए और बेंचमार्क या सूचकांक तय किया जाए;
- (ण) “शुद्ध-मालियत” (नेटवर्थ) का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा (57) में इसके लिए दिया हुआ है;
- (त) “प्रकाशित कराने या उपलब्ध कराने” का आशय है - सूचकांक प्रदाता द्वारा हितधारकों (स्टेकहोल्डर) को कोई दस्तावेज या नोटिस उस माध्यम से देना, जिसके जरिए देने से सूचकांक प्रदाता को यह पूरा भरोसा हो जाए कि वह दस्तावेज या नोटिस बेंचमार्क का इस्तेमाल करने वालों तक पहुँच जाएगा।
- स्पष्टीकरण:** सूचकांक प्रदाता की वेबसाइट पर दस्तावेज या नोटिस उपलब्ध कराए जाने पर यह मान लिया जाएगा कि इस अपेक्षा का पालन कर लिया गया है।
- (थ) “विनियमित बाजार या एक्सचेंज” का अर्थ है - वह बाजार या एक्सचेंज, जिसे कोई विनियामक प्राधिकरण (रेग्युलेटरी अथॉरिटी) विनियमित (रेग्युलेट) करता हो या जिसके कामकाज पर विनियामक प्राधिकरण नज़र रखता हो;
- (द) “विनियामक प्राधिकरण” का अर्थ है - वह सरकारी या सांविधिक निकाय [जो एक स्व-विनियामक संगठन (सेल्फ-रेग्युलेटरी ऑर्गेनाइज़ेशन) न हो], जिसका मुख्य कार्य प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) या कमोडिटी और फ्यूचर्स बाजार या दोनों को विनियमित (रेग्युलेट) करना हो;
- (ध) “अनुसूची” का अर्थ है - इन विनियमों में दी हुई कोई अनुसूची;
- (न) “प्रतिभूतियों” (सिक्यूरिटीज़) का वही अर्थ होगा, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्युलेशन) एक्ट, 1956] (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (ज) में इसके लिए दिया हुआ है;
- (प) “प्रमुख सूचकांकों” का अर्थ है - वे सूचकांक, जिनका प्रबंधन सूचकांक प्रदाता द्वारा किया जाता हो, और जिन्हें भारत की वे म्यूचुअल फंड स्कीमें ट्रेक करती हों या बेंचमार्क मानती हों, जिनकी प्रबंधनाधीन आस्तियाँ (असेट्स अंडर मैनेजमेंट) कुल मिलाकर बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई सीमाओं से अधिक हों;
- स्पष्टीकरण:** “प्रमुख सूचकांकों” की सूची बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी की जाएगी।
- (फ) “हितधारक” (स्टेकहोल्डर) का आशय ग्राहकों (सब्सक्राइबर्स) से है और उन दूसरे व्यक्तियों या एंटीटियों से है, जिनके पास बेंचमार्क पर आधारित कॉण्ट्रैक्ट या वित्तीय लिखतें (फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट) हों;
- (ब) “स्टॉक एक्सचेंज” का अर्थ है - वह स्टॉक एक्सचेंज, जिसे प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) के तहत बोर्ड से मान्यता मिली हुई हो;
- (भ) “प्रस्तुत की गई जानकारी आदि” का अर्थ है और इसमें शामिल है - बेंचमार्क तय करने के उद्देश्य से सूचकांक प्रदाता को “जानकारी आदि प्रस्तुत करने वाले” (सबमिटर) द्वारा उपलब्ध कराई गई कीमतें, अनुमान, मूल्य, दरें या जानकारी, किंतु इसमें विनियमित बाजारों (रेग्युलेटेड मार्केट) या स्टॉक एक्सचेंजों

से लिया गया डाटा (जो पारदर्शिता के लिहाज से प्रावधानों के अनुसार ट्रेड होने के बाद वे अनिवार्य रूप से देते हैं) शामिल नहीं है;

(म) "ग्राहक" (सब्सक्राइबर) का अर्थ है - वह एंटिटी, जो सूचकांक प्रदाताओं के सूचकांकों का इस्तेमाल करे।

- (2) जिन शब्दों की परिभाषा यहाँ दी गई है उन्हें छोड़कर दूसरे सभी शब्दों का वही अर्थ होगा, जो, यथास्थिति, अधिनियम या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या उनके किसी कानूनी संशोधन आदि में उनके लिए दिया हुआ है।

इन विनियमों का लागू होना

3. (1) ये विनियम केवल उन सूचकांक प्रदाताओं पर लागू होंगे जो उन प्रमुख सूचकांकों का प्रबंधन करते हों, जिनके अंतर्गत भारत के किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) शामिल हों और जिनका इस्तेमाल भारत के प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज मार्केट) में होता हो।

(2) ये विनियम उन सूचकांक प्रदाताओं पर लागू नहीं होंगे, जो:-

(क) अपने उन सूचकांकों का प्रबंधन करते हों, जिनमें केवल दूसरे देशों की प्रतिभूतियाँ शामिल हों या जिनमें दूसरे देशों की प्रतिभूतियों के साथ-साथ भारत की प्रतिभूतियाँ शामिल हों, फिर चाहे उनका इस्तेमाल भारत के प्रतिभूति बाजार में होता हो या फिर कहीं और होता हो;

(ख) अपने उन सूचकांकों का प्रबंधन करते हों, जिनका इस्तेमाल केवल दूसरे देशों में ही होता हो।

अध्याय - II

सूचकांक प्रदाताओं के रूप में रजिस्टर होना

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने हेतु आवेदन

4. (1) इन विनियमों के प्रारंभ होने की तारीख से ही, कोई भी एंटिटी बोर्ड से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना सूचकांक प्रदाता के रूप में कार्य नहीं करेगी:

परंतु यह कि जो मौजूदा एंटिटी इन विनियमों के दायरे में आती हो और जो बोर्ड से रजिस्टर न हो, वह इन विनियमों के प्रारंभ होने की तारीख से छह महीनों की अवधि तक अपना कार्य आदि जारी रख सकती है, या फिर यदि उस एंटिटी ने उप-विनियम (2) के तहत उपरोक्त छह महीनों की अवधि के भीतर रजिस्टर होने के लिए आवेदन कर दिया हो, तो ऐसे में आवेदन पर कार्यवाही पूरी होने तक अपना कार्य आदि जारी रख सकती है:

परंतु यह और कि वित्तीय बाजारों के जो 'बैंचमार्क' भारतीय रिज़र्व बैंक के दायरे में आते हैं [जिनमें भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45ब के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित 'प्रमुख बैंचमार्क' भी शामिल हैं], उन पर ये विनियम लागू नहीं होंगे।

(2) उप-विनियम (1) के तहत प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने हेतु आवेदन, बोर्ड के पास पहली अनुसूची में दिए हुए फॉर्म-क में किया जाएगा, जिसके साथ दूसरी अनुसूची के भाग-क में निर्धारित की गई आवेदन फीस (जो लौटाई नहीं जाएगी) उसी प्रकार अदा की जाएगी, जैसा भाग-ख में जिक्र किया गया है।

(3) आवेदक बोर्ड के पास पूरी तरह से भरा हुआ आवेदन प्रस्तुत करते समय सिद्धांतों का पालन किए जाने के संबंध में वह मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो किसी स्वतंत्र बाहरी लेखापरीक्षक (ऑडिटर) द्वारा पिछले बारह महीनों के दौरान जारी की गई हो और जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि वित्तीय (फाइनेंशियल) बैंचमार्कों के मामले में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्यूरिटीज़ कमीशन्स (आयस्को) के सभी सिद्धांतों का पालन कर लिया गया है।

(4) उप-विनियम (3) में दिए हुए प्रावधान का पालन करने में किसी भी तरह से विफल रहने पर, आवेदक बोर्ड को लिखित रूप में उसके कारण बताएगा और साथ ही एक वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि वह बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने की तारीख से छह महीनों के भीतर यह पुष्टि करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि वित्तीय (फाइनेंशियल) बेंचमार्कों के मामले में आयस्को के सभी सिद्धांतों का पालन कर लिया गया है:

परंतु यह कि बोर्ड अपने विवेकानुसार आयस्को के सिद्धांतों का पालन किए जाने संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कुछ और समय दे सकेगा।

पात्रता मानदंड

5. बोर्ड, विनियम 4 के तहत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने हेतु किए गए आवेदन पर तब तक विचार नहीं करेगा, जब तक आवेदक नीचे बताई गई शर्तें पूरी न कर ले, अर्थात्:-

(क) आवेदक कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के तहत बनी एक एंटीटी हो या फिर यदि उसका गठन किसी और देश में हुआ हो, तो वह वहाँ के ऐसे ही कानूनी प्रावधानों के तहत बनी एक एंटीटी हो:

परंतु यह कि यदि सूचकांक प्रदाता के कार्य आदि किसी स्टॉक एक्सचेंज या किसी दूसरे विनियमित मध्यवर्ती (रेग्युलेटेड इंटरमीडियरी) द्वारा आंतरिक स्तर पर किए जा रहे हों, तो ऐसे में उस स्टॉक एक्सचेंज या उस दूसरे विनियमित मध्यवर्ती को, सूचकांक प्रदाता के रूप में कार्य आदि करने के लिए, इन विनियमों के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्षों की अवधि के भीतर कानूनी प्रावधानों के अनुसार एक अलग एंटीटी बनानी होगी।

(ख) आवेदक की शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) कम से कम पच्चीस करोड़ रुपये की हो या फिर उस देश की मुद्रा (करेंसी) में इतनी ही रकम के बराबर की रकम (जो आवेदन करते समय 'विदेशी मुद्रा विनिमय दर' के आधार पर निकाली जाएगी) की हो, जिस देश में आवेदक का गठन हुआ हो:

परंतु यह कि जो मौजूदा एंटीटी इन विनियमों के दायरे में आती हो और जो एक सूचकांक प्रदाता के रूप में बोर्ड से रजिस्टर न हो, वह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने की तारीख से दो वर्षों की अवधि के भीतर शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) से संबंधित प्रावधान का पालन करेगी।

(ग) आवेदक के यहाँ जरूरी बुनियादी सुविधाएँ हों और पर्याप्त संख्या में कर्मचारी (जिनके पास अपने कार्यक्षेत्र से जुड़ी योग्यताएँ हों) भी हों, ताकि सूचकांक प्रदाता का कामकाज आदि सुगमतापूर्वक चल सके।

(घ) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तभी प्रदान किया जाएगा, जब आवेदक, उसके संप्रवर्तक (प्रोमोटर) और निदेशक 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' संबंधी मानदंडों पर खरे उतरते हों।

उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति संबंधी मानदंड

6. आवेदक उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति है या नहीं, यह तय करने के उद्देश्य से, बोर्ड भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 [सेबी (इंटरमीडियरीज़) रेग्यूलेशन, 2008] की अनुसूची-II में निर्धारित किए गए मानदंडों पर गौर करेगा:

परंतु यह कि, जिस मामले में सूचकांक प्रदाता का कोई संप्रवर्तक (प्रोमोटर) एक स्टॉक एक्सचेंज, समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन) या निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) हो, तो ऐसे मामले में सूचकांक प्रदाता 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' है या नहीं, यह प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 [सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) (स्टॉक एक्सचेंजेस एंड क्लीयरिंग कारपोरेशन) रेग्यूलेशन, 2018] तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 [सेबी (डिपॉजिटरीज़ एंड पार्टिसिपेंट्स) रेग्यूलेशन, 2018] में निर्धारित किए गए मानदंडों के अनुसार तय किया जाएगा।

अपेक्षाओं के अनुरूप आवेदन

7. प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु किया गया जो आवेदन हर तरह से पूरा न हो या जो विनियम 5 में दिए हुए प्रावधान या पहली अनुसूची में फॉर्म-क में दिए हुए अनुदेशों के अनुरूप न हो, उसे बोर्ड द्वारा नामंजूर कर दिया जाएगा:

परंतु यह कि इस तरह से कोई आवेदन नामंजूर करने से पहले, आवेदक को बोर्ड द्वारा जताई गई आपत्तियों के अनुसार बदलाव आदि करने (बोर्ड से ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर) का असवर प्रदान किया जाएगा:

परंतु यह और कि बोर्ड, पर्याप्त कारण बताए जाने के बाद, ऐसी आपत्तियों के अनुसार बदलाव आदि करने के लिए कुछ और समय दे सकेगा, जितना भी बोर्ड ठीक समझे, किंतु अधिक से अधिक तीस दिनों तक का ही और समय दिया जा सकता है।

जानकारी प्रस्तुत करना और व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व

8. (1) बोर्ड, सूचकांक प्रदाता के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के संबंध में आवेदक से यह कह सकेगा कि वह ऐसी कुछ और जानकारी प्रस्तुत करे या स्पष्टीकरण दे, जो भी बोर्ड को जरूरी लगे।

(2) प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के संबंध में यदि बोर्ड को जरूरी लगे, तो वह आवेदक या उसके किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि को व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व हेतु बोर्ड के समक्ष हाज़िर होने के लिए कह सकेगा।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करना

9. (1) बोर्ड, इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि आवेदक पात्र है, पहली अनुसूची के फॉर्म-ख के अनुसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करेगा और इस संबंध में आवेदक को सूचित करेगा।

(2) उप-विनियम (1) के तहत प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तब तक मान्य रहेगा, जब तक कि बोर्ड द्वारा उसे निलंबित या रद्द न कर दिया जाए।

(3) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तभी प्रदान किया जाएगा, जब दूसरी अनुसूची के भाग-क के अनुसार रजिस्ट्रीकरण फीस उसी प्रकार अदा कर दी जाए जैसा उसके भाग-ख में बताया गया है।

प्रमाणपत्र की शर्तें

10. विनियम 9 के तहत प्रमाणपत्र तभी प्रदान किया जाएगा, जब निम्नलिखित शर्तें पूरी कर ली जाएँ, अर्थात्:

(क) सूचकांक प्रदाता अधिनियम, उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों तथा बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों, परिपत्रों (सर्कुलर) तथा निदेशों का पालन करेगा;

(ख) सूचकांक प्रदाता प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन करते समय बोर्ड के पास प्रस्तुत की गई किसी जानकारी आदि में होने वाले किसी भी बदलाव की सूचना तीस दिनों के भीतर बोर्ड को लिखित रूप में देगा;

(ग) नियंत्रण में कोई परिवर्तन होने पर, सूचकांक प्रदाता बोर्ड की पूर्व मंजूरी लेगा;

(घ) सूचकांक प्रदाता की हर समय कम से कम उतनी शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) रहेगी, जितनी इन विनियमों के विनियम (5) के उप-विनियम (ख) में बताई गई है, और प्रत्येक वर्ष सितम्बर के तीसवें दिन तक कानूनी लेखापरीक्षक (स्टैट्यूटरी ऑडिटर) का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि पिछले वित्तीय वर्ष नेटवर्थ [जो लेखापरीक्षित (ऑडिटेड) हो] कितनी थी।

रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने से इनकार किए जाने के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

11. (1) विनियम 4 के तहत किए गए आवेदन पर विचार करने के बाद, यदि बोर्ड की यह राय हो कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया जाना चाहिए, तो ऐसे में बोर्ड आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद आवेदन को नामंजूर कर सकेगा।

- (2) उप-विनियम (1) के तहत आवेदन को नामंजूर करने के बोर्ड के निर्णय से आवेदक को, निर्णय लिए जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, अवगत कराया जाएगा और साथ ही आवेदन को नामंजूर करने के कारण भी बताए जाएंगे।

अध्याय - III

संचालन-व्यवस्था और हित-विरोध

आचार संहिता

12. प्रत्येक सूचकांक प्रदाता इन विनियमों की तीसरी अनुसूची में दी हुई आचार संहिता का पालन करेगा।

संचालन-व्यवस्था

13. सूचकांक प्रदाता के यहाँ ऐसी उपयुक्त संचालन-व्यवस्था होगी कि बेंचमार्क तय करने की प्रक्रिया में निष्पक्षता बनी रहे, हित-विरोध की समस्या पर काबू पाया जा सके और सूचकांक के संचालन-व्यवस्था से जुड़े व्यक्ति तथा सूचकांक के व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने में जुटे व्यक्ति अलग-अलग रहें।

जिम्मेदारियाँ

14. (1) बेंचमार्क तय करने की प्रक्रिया से जुड़े सभी पहलुओं (जिनमें शामिल हैं – सूचकांक बनाना, उसकी गणना करना तथा उसका संचालन करना और एक भरोसेमंद एवं पारदर्शी संचालन-व्यवस्था, निगरानी व्यवस्था तथा जवाबदेही तय करने की प्रक्रियाएँ निर्धारित करना) की जिम्मेदारी मुख्य रूप से सूचकांक प्रदाता की रहेगी, और सूचकांकों की निष्पक्षता की भी पूरी-पूरी जिम्मेदारी उस पर होगी, फिर भले ही बेंचमार्क तय करने के लिए कोई भी तरीका क्यों न अपनाया गया हो।

(2) जिस सूचकांक प्रदाता ने किसी दूसरी एंटीटी के साथ मिलकर सूचकांक या बेंचमार्क बनाया हो या जो सूचकांक प्रदाता किसी दूसरी एंटीटी के साथ मिलकर सूचकांक या बेंचमार्क बनाता हो, वह प्रत्येक पक्ष की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ तय करेगा और साथ ही ऐसे मानदंड भी तय करेगा जिससे कि सूचकांक या बेंचमार्क सूचकांक प्रदाता द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुसार बन पाए।

(3) जहाँ बेंचमार्क तय करने की प्रक्रिया से संबंधित कार्य आदि सूचकांक प्रदाता को छोड़कर कोई अन्य पक्ष करता हो, वहाँ सूचकांक प्रदाता ऐसे अन्य पक्षों द्वारा किए जा रहे इन कार्यों आदि पर नज़र रखने के लिए एक ढाँचा, इन विनियमों के उद्देश्य के अनुरूप, निर्धारित करेगा, और एक लिखित दस्तावेज़ तैयार करेगा जिसमें यह साफ-साफ जिक्र हो कि इन कार्यों आदि में शामिल सभी पक्षों की क्या-क्या भूमिका होगी और उनके क्या-क्या दायित्व होंगे:

परंतु यह कि जिस किसी दूसरे पक्ष से डाटा लिया जा रहा हो, यदि वह कोई विनियमित बाजार (रेग्युलेटेड मार्केट) या स्टॉक एक्सचेंज हो, तो उस दूसरे पक्ष के मामले में यह प्रावधान लागू नहीं होगा।

निगरानी समिति

15. (1) सूचकांक प्रदाता, बेंचमार्क तय करने की प्रक्रिया से जुड़े सभी पहलुओं पर नज़र रखने के लिए एक निगरानी समिति का गठन करेगा।

(2) निगरानी समिति में ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे, जिनके पास संबंधित क्षेत्र का अनुभव और ज्ञान हो।

(3) निगरानी समिति उस विभाग से पूरी तरह से अलग होगी, जो सूचकांक की गणना करने और उसके संचालन से संबंधित रोजमर्रा के कामकाज देखता हो।

(4) निगरानी समिति:

- (क) इसकी समीक्षा करेगी कि बाजार में हो रहे बदलावों की वजह से या फिर किसी अन्य वजह से सूचकांक बनाने या उसकी गणना करने की पद्धति में बदलाव करने की जरूरत है या नहीं; और साथ ही इसका भी आकलन करेगी कि यदि कोई बदलाव करना हो तो कैसे किया जाए और उसका मौजूदा ग्राहकों आदि पर क्या असर पड़ेगा;
- (ख) बेंचमार्क के ढांचे पर और लाए जाने वाले नए वित्तीय (फाइनेंशियल) बेंचमार्कों पर तथा लेखापरीक्षा (ऑडिट) के परिणामों पर नज़र रखेगी; और साथ ही इस तरह से किए गए ऑडिट के बाद जो सुधारात्मक कदम उठाने के सुझाव दिए गए उन्हें अमल में लाने के निदेश देगी;
- (ग) किसी सूचकांक को बंद किए जाने की प्रक्रियाओं की समीक्षा करेगी;
- (घ) “विवेकाधिकार से लिए गए निर्णय” को अमल में लाने के लिए अपनाई जा रही प्रक्रियाओं पर नज़र रखेगी;
- (ङ) सूचकांक जिस अंडरलाइंग इंटरैस्ट को दर्शाता हो, उसकी स्थिति की समय-समय पर समीक्षा करेगी, ताकि यह समझा जा सके कि कहीं उस अंडरलाइंग इंटरैस्ट में कोई ऐसे बड़े बदलाव तो नहीं हुए, जिनकी वजह से सूचकांक की गणना की पद्धति में बदलाव करने की जरूरत हो;
- (च) यह जांचेगी कि जो पद्धति अपनाई जा रही है, वह सूचकांक के नाम आदि के हिसाब से ठीक है या नहीं, और क्या सूचकांक का नाम सही दिया गया है।

हित-विरोध

16. (1) सूचकांक प्रदाता ऐसी नीतियाँ और प्रक्रियाएँ निर्धारित करेगा, जिनसे कि हित-विरोध की समस्या पर काबू पाया जा सके और साथ ही सूचकांक तय किए जाने के संबंध में किए जाने वाले विभिन्न कार्यों में निष्पक्षता भी बनी रहे और जहाँ-जहाँ अपेक्षित हो वहाँ कामकाज भी अलग-अलग रहें।

(2) सूचकांक प्रदाता ये नीतियाँ और प्रक्रियाएँ लिखित रूप में निर्धारित करेगा और उन्हें लागू करवाएगा, ताकि हित-विरोध का पता चल पाए, उससे जुड़ी जानकारी दी जा सके और साथ ही हित-विरोध पर काबू पाया जा सके या हित-विरोध की समस्या पैदा ही न हो।

(3) सूचकांक प्रदाता नीतियाँ इस तरह से बनाएगा जिससे कि कामकाज करते समय कोई निजी हित या कारोबारी संबंध आड़े न आए, और जिन कार्यों में हित-विरोध की कोई संभावना हो उन कार्यों में शामिल कर्मचारियों के बीच जानकारी के आदान-प्रदान को नियंत्रित करने के लिए कारगर प्रक्रियाएँ निर्धारित करेगा, अपने कर्मचारियों से लागू कानूनी प्रावधानों और विनियमों (रेग्यूलेशन्स) का पालन करने को कहेगा और साथ ही ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे कि गोपनीय जानकारी और वह अहम जानकारी भी सुरक्षित रहे जो आम जनता के लिए उपलब्ध न हो:

परंतु यह कि ये नीतियाँ उन व्यक्तियों पर लागू होंगी जो सूचकांकों से संबंधित कामकाज पर नज़र रखने से जुड़ी कोई भूमिका निभा रहे हों, और साथ ही ये उन व्यक्तियों पर भी लागू होंगी जो रोजमर्रा के कामकाज और सूचकांकों की गणना करने तथा उनकी संचालन-व्यवस्था से जुड़े कामकाज कर रहे हों।

(4) हित-विरोध संबंधी नीतियों में इसका साफ तौर पर उल्लेख होगा कि:

(क) संवेदनशील जानकारी कैसे सुरक्षित रखी जाएगी;

(ख) संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए अपेक्षानुसार क्या प्रक्रियाएँ अपनाई जाएँगी; और

(ग) सूचकांकों में किए जाने वाले बदलावों की वजह से जिन प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) पर असर पड़ेगा उनमें संबंधित कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली ट्रेडिंग पर क्या पाबंदी होगी और उसके लिए उन्हें कैसे पहले मंजूरी लेनी होगी, और दोनों के संबंध में लागू कानूनी प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

नियंत्रण की व्यवस्था

17. (1) सूचकांक प्रदाता सूचकांक की गणना करने, उसका संचालन करने और 'जानकारी आदि उपलब्ध कराने' के संबंध में लिखित रूप में नियंत्रण की एक व्यवस्था निर्धारित करेगा, और मांगे जाने पर उसे बोर्ड को उपलब्ध कराएगा।

(2) नियंत्रण की व्यवस्था के तहत 'पर्दाफाश किए जाने' की भी एक कारगर व्यवस्था निर्धारित की जाएगी (ताकि गड़बड़ी की संभावना का पहले ही पता चल जाए) और जो सभी कर्मचारियों (जिनमें साथ मिलकर सूचकांक या बेंचमार्क बनाने वाली एंटीटियों के कर्मचारी या बेंचमार्क तय करने की प्रक्रिया में शामिल अन्य पक्षों के कर्मचारी भी शामिल हैं) के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, और इस नीति का उद्देश्य यही होगा कि जिन कर्मचारियों को ऐसी किसी गड़बड़ी या अपनाए गए गलत तौर-तरीकों के गंभीर मामलों का पता चले उन्हें ऐसे मामलों की खबर देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और उन्हें संरक्षण भी प्रदान किया जा सके। इस नीति में निम्नलिखित का भी समावेश किया जाएगा:

- (क) 'हित-विरोध' के संबंध में निर्धारित की गई नीतियों और प्रक्रियाओं का;
- (ख) सूचकांक की गणना करने और उसका संचालन करने के संबंध में कारगर प्रक्रियाओं और पद्धति से संबंधित दस्तावेज का, जिसमें यह उल्लेख किया जाएगा कि सूचकांकों की रीबैलेंसिंग करने के संबंध में या फिर सूचकांकों में शामिल किसी स्टॉक को हटाने या किसी नए स्टॉक को शामिल करने के संबंध में किन-किन परिस्थितियों में विवेकाधिकार से निर्णय लिया जा सकेगा;
- (ग) एक ऐसी कारगर व्यवस्था का (ताकि साफ तौर पर जिम्मेदारी तय की जा सके) और शिकायतों के निवारण की कारगर व्यवस्था का;
- (घ) कामकाज में कोई रुकावट पैदा न हो और कोई गड़बड़ी होने पर कामकाज फिर से बहाल हो सके, इसके लिए और ऐसी परिस्थितियों की टेस्टिंग हेतु एक कारगर व्यवस्था का;
- (ङ) सभी कर्मचारियों (जिनमें साथ मिलकर सूचकांक या बेंचमार्क बनाने वाली एंटीटियों के कर्मचारी या बेंचमार्क तय करने की प्रक्रिया में शामिल अन्य पक्षों के कर्मचारी भी शामिल हैं) को समय-समय पर दिए जाने वाले प्रशिक्षण का, जिसमें उन्हें यह बताया जाए कि उन्हें अपना कामकाज किस तरह करना है और हित-विरोध की समस्या पैदा होने की स्थिति में क्या करना है;
- (च) एक ऐसी व्यवस्था का, जिसमें यह बताया जाए कि संवेदनशील जानकारी को कैसे सुरक्षित रखना है और हित-विरोध के मामलों में ट्रेडिंग पर क्या पाबंदियाँ रहेंगी।

अध्याय - IV

सूचकांक की क्वालिटी और पद्धति

सूचकांक की क्वालिटी

18. (1) सूचकांक उन पहलुओं को ध्यान में रखकर बनाया जाए जिनसे कि अंडरलाइंग इंटररेस्ट की सही तस्वीर पेश हो, और जिन पहलुओं की वजह से कीमत, दर या सूचकांक का मूल्य सही न निकल पाए उन पर गौर न किया जाए।

- (2) सूचकांक प्रदाता सूचकांक की गणना उस डाटा के आधार पर करेगा, जो सूचकांक के अंडरलाइंग इंटरैस्ट को दर्शाने के लिए पर्याप्त हो।
- (3) सूचकांक प्रदाता दिशानिर्देश निर्धारित करेगा और उन्हें आम जनता के लिए उपलब्ध कराएगा, जिनमें यह बताया जाएगा कि डाटा कैसे लिया जाएगा और सूचकांक की गणना एवं संचालन हेतु उनका कैसे इस्तेमाल किया जाएगा।
- (4) सूचकांक प्रदाता सूचकांक की पद्धति के अनुसार सूचकांक की गणना करने और उनका संचालन करने के लिए जो तरीका अपनाता है, उसके अनुरूप ही डाटा का इस्तेमाल करेगा, और साथ ही साथ उसकी क्वालिटी और निष्पक्षता भी हमेशा सुनिश्चित करेगा।
- (5) (क) सूचकांक प्रदाता बाजार के विभिन्न सेगमेंट (खंडों) से जानकारी आदि ले सकेगा, लेकिन वह पहले “जानकारी आदि प्रस्तुत करने वालों” (सबमिटर) के बारे में पूरी जाँच-परख करेगा;
- (ख) सूचकांक प्रदाता “जानकारी आदि प्रस्तुत करने वालों” (सबमिटर) के लिए एक आचार संहिता निर्धारित करेगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि क्वालिटी कैसे सुनिश्चित की जाएगी, निगरानी कैसे रखी जाएगी, हित-विरोध की समस्या पैदा होने पर क्या करना होगा, रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा और साथ ही साथ इसमें ‘पर्दाफाश किए जाने’ से संबंधित नीति का भी जिक्र होगा। सूचकांक प्रदाता यह आचार संहिता अपने वेबसाइट पर भी डलवाएगा:
- परंतु यह कि विनियमित बाजारों (रेग्युलेटेड मार्केट) और स्टॉक एक्सचेंजों में हुए लेनदेन के डाटा के आधार पर बने सूचकांकों के मामले में आचार संहिता निर्धारित करना जरूरी नहीं होगा।
- (6) (क) सूचकांक प्रदाता पद्धति से संबंधित दस्तावेज आम जनता के लिए उपलब्ध करवाएगा, ताकि वे यह जान सकें कि सूचकांक अंडरलाइंग इंटरैस्ट को कैसे दर्शा रहा है और सूचकांक की गणना कैसे की जा रही है तथा उसका संचालन कैसे हो रहा है।
- (ख) सूचकांक प्रदाता उन मामलों के संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित करेगा, जिन मामलों में सूचकांक के संचालन के संबंध में सूचकांक प्रदाता विवेकाधिकार से निर्णय ले सकता है।
- (ग) पद्धति से संबंधित दस्तावेज में सूचकांक प्रदाता ये दिशानिर्देश भी निर्धारित करेगा कि सूचकांक में शामिल स्टॉक में फेरबदल आदि करने की जानकारी कब देनी होगी, ताकि इस संबंध में पारदर्शिता आ सके।

बेहतर पद्धति अपनाना

19. (1) सूचकांक प्रदाता सूचकांक की गणना करने और उसका संचालन करने के लिए जो पद्धति अपनाएगा उसका दस्तावेज तैयार करेगा और उसे आम जनता के लिए उपलब्ध करवाएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति यह समझ सके कि सूचकांक का मूल्य कैसे निकलता है, और साथ ही साथ वह यह भी समझ पाए कि सूचकांक जिस अंडरलाइंग इंटरैस्ट को दर्शाता है, उसका वित्तीय लिखतों (फाइनेंशियल इन्स्ट्रूमेंट्स) के संबंध में क्या महत्त्व और औचित्य है।
- (2) सूचकांक में शामिल स्टॉक में बदलाव किए जाने की जानकारी देने के मामलों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से, सूचकांक प्रदाता, पद्धति से संबंधित दस्तावेज में दिशानिर्देश निर्धारित करेगा, जिसमें यह जिक्र किया जाएगा कि सूचकांक में शामिल स्टॉक में बदलाव की जानकारी कब देनी होगी ताकि बदलाव को अमल में लाने के लिए पर्याप्त समय मिल पाए।
- (3) सूचकांक प्रदाता:
- (क) सूचकांक की पद्धति में बड़े बदलाव करने के संबंध में, यदि जरूरी लगे तो, बाजार से जुड़े लोगों से उनका फीडबैक लेने का प्रयास करेगा;

- (ख) सूचकांक की पद्धति की समय-समय पर समीक्षा करेगा, और यदि जरूरी हो तो उसके उद्देश्य के अनुरूप उसमें बदलाव का प्रस्ताव करेगा;
- (ग) पद्धति में बदलाव करने के बारे में हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) [जिनमें बाजार सहभागी (मार्केट पार्टिसिपेंट), ग्राहक (सब्सक्राइबर्स) भी शामिल हैं] के साथ परामर्श करेगा और चर्चा करेगा; और
- (घ) पद्धति में किए जाने वाले बदलाव को अमल में लाने के लिए पर्याप्त समय पहले सूचित करेगा।

सूचकांक बंद करना

20. (1) सूचकांक को बंद करने की जरूरत आ पड़ने की परिस्थिति से निपटने के लिए सूचकांक प्रदाता नीतियाँ और प्रक्रियाएँ बाजार सहभागियों (मार्केट पार्टिसिपेंट) और ग्राहकों (सब्सक्राइबर) पर पड़ सकने वाले असर को ध्यान में रखकर बनाएगा।

(2) सूचकांक प्रदाता सूचकांक बंद किए जाने के संबंध में ग्राहकों (सब्सक्राइबर) को पर्याप्त समय पहले सूचित करेगा।

(3) जिस सूचकांक को पूरी तरह से बंद किया जाना हो, उसके मामले में यदि ग्राहक (सब्सक्राइबर) को जरूरी लगे तो जहाँ तक मुमकिन हो, सूचकांक प्रदाता उस सूचकांक को वाजिब समय तक जारी रखेगा, और साथ ही यदि मुमकिन हो तो वाजिब समय के भीतर दूसरा सूचकांक भी उपलब्ध कराएगा:

परंतु यह कि प्रमुख सूचकांकों का प्रबंधन करने वाले मौजूदा सूचकांक प्रदाताओं (जो बोर्ड से रजिस्टर होने के इच्छुक न हों अथवा जो सूचकांक या बेंचमार्क बंद करना चाहते हों) के सूचकांकों को ट्रेक करने वाले बोर्ड से रजिस्टर ग्राहक (सब्सक्राइबर) या तो रजिस्टर सूचकांक प्रदाता के नए बेंचमार्क की तरफ रुख कर लेंगे या फिर उन सूचकांकों को ट्रेक करना बंद कर देंगे, और साथ ही उन्हें सूचकांक बंद करने के लिए दिए गए नोटिस की तारीख से तीन महीनों की अवधि की भीतर इस संबंध में सभी जरूरी कदम भी उठाने होंगे।

डाटा एकत्र करने के संबंध में आंतरिक स्तर पर नियंत्रण की व्यवस्था

21. (1) डाटा कहाँ-कहाँ से एकत्र किया जाना है, जानकारी आदि कौन-कौन प्रस्तुत कर सकता है, डाटा में किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ कैसे रोकनी है और डाटा को कैसे गोपनीय रखना है, इन सबके बारे में सूचकांक प्रदाता अपने यहाँ आंतरिक स्तर पर नियंत्रण की एक व्यवस्था निर्धारित करेगा।

(2) विनियमित बाजारों (रेग्युलेटेड मार्केट) और स्टॉक एक्सचेंजों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन-जिन सूचकांक प्रदाताओं ने उनके साथ डाटा साझा करने के संबंध में करार (एग्रीमेंट) किया हो, उन सभी को एक जैसा डाटा मिले, डाटा बिना किसी रोकटोक के मिले और पारदर्शी एवं निष्पक्ष रूप से मिले। इसके अलावा, उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि डाटा उपलब्ध कराते समय कोई भेदभाव न किया जाए या उनके सहयोगियों और संबंधित एंटिटियों को किसी भी तरह से कोई तरजीह न दी जाए, और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि डाटा अलग-अलग समय पर न दिया जाए, अलग-अलग फॉर्मेट में और अलग-अलग तरीके से न दिया जाए।

अध्याय - V

जवाबदेही तय करना और जानकारी देना

जवाबदेही तय करने की व्यवस्था

22. सूचकांक प्रदाता को शिकायत निवारण व्यवस्था के संबंध में एक नीति निर्धारित करनी होगी और जिसकी जानकारी आम जनता को देनी होगी, ताकि सूचकांक अंडरलाइंग इंटरैस्ट की सही तस्वीर पेश कर रहा है या नहीं इसके बारे में, सूचकांक की गणना करने के लिए अपनाई गई पद्धति के बारे में और सूचकांक के प्रबंधन की प्रक्रिया के अंतर्गत लिए गए निर्णयों के बारे में यदि ग्राहकों (सब्सक्राइबर) की कोई शिकायतें हों, तो वे उन्हें सुगमतापूर्वक दर्ज करा सकें।

विवाद सुलझाने की व्यवस्था

23. (1) सूचकांक प्रदाता को अपने यहाँ विवाद सुलझाने की व्यवस्था निर्धारित करनी होगी और यदि किसी सूचकांक प्रदाता द्वारा प्रतिभूति बाजार (सिक्क्यूरिटीज़ मार्केट) में किए जाने वाले कार्यों आदि की वजह से या उन कार्यों आदि के सिलसिले में सूचकांक प्रदाता और ग्राहकों (सब्सक्राइबर) के बीच कोई विवाद या मतभेद हो जाए या फिर उनके द्वारा कोई दावा किया जाए, तो ऐसे मामले, बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार, विवाद सुलझाने हेतु बनाई गई इस व्यवस्था (जिसमें सुलह कराना और/या मध्यस्थता आदि शामिल हैं) के समक्ष रखे जाएंगे।

(2) सूचकांक प्रदाता का कोई भी ग्राहक (सब्सक्राइबर) इन विनियमों में बताई गई शिकायत निवारण व्यवस्था के तहत अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेगा।

स्वतंत्र लेखापरीक्षक (ऑडिटर) द्वारा आकलन

24. (1) सूचकांक प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक दो वर्षों में कम से कम एक बार यह आकलन कर लिया जाए कि वित्तीय (फाइनेंशियल) बेंचमार्कों के संबंध में आयस्को द्वारा निर्धारित किए गए सिद्धांतों का पालन हो रहा है या नहीं, और यह आकलन एक ऐसे स्वतंत्र बाहरी लेखापरीक्षक (ऑडिटर) से करवाया जाए जो इस तरह के आकलन करने में योग्य और अनुभवी हो:

परंतु यह कि इस तरह से करवाया जाने वाला पहला आकलन सूचकांक प्रदाता रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर करवाएगा:

परंतु यह और कि यदि किसी ऐसी मौजूदा एंटीटी का ऐसा आकलन पिछले एक वर्ष के दौरान हुआ हो जो बोर्ड से सूचकांक प्रदाता के रूप में रजिस्टर न हो, तो ऐसे में पिछली बार करवाए गए आकलन की तारीख से दो वर्षों के भीतर स्वतंत्र बाहरी लेखापरीक्षकों (ऑडिटर) से अगला आकलन करवाना होगा।

(2) स्वतंत्र बाहरी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट सूचकांक प्रदाता की वेबसाइट पर डलवाई जाएगी।

बोर्ड के पास रिपोर्ट प्रस्तुत करना

25. सूचकांक प्रदाता प्रत्येक दो वर्षों में कम से कम एक बार बोर्ड के पास एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें वित्तीय (फाइनेंशियल) बेंचमार्कों के संबंध में आयस्को द्वारा निर्धारित किए गए सिद्धांतों के पालन की पुष्टि हेतु स्वतंत्र बाहरी लेखापरीक्षक (ऑडिटर) से करवाए गए आकलन के ब्यौरे दिए जाएँगे।

बही-खाते (लेखा-बहियाँ), रिकॉर्ड आदि संभालकर रखना

26. (1) सूचकांक प्रदाता बेंचमार्क तय करने की प्रक्रिया के दौरान लिए गए समस्त डाटा का पूरा लिखित रिकॉर्ड और निगरानी समिति की बैठक का कार्यवृत्त कम से कम आठ वर्षों की अवधि तक संभालकर रखेगा।

(2) सूचकांक प्रदाता बोर्ड को यह सूचित करेगा कि इन विनियमों के अनुसार सभी बही-खाते, रिकॉर्ड और दस्तावेज भारत में किस स्थान पर संभालकर रखे जा रहे हैं।

बोर्ड द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों, परिपत्रों (सर्कुलर) का पालन

27. सूचकांक प्रदाता बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों और परिपत्रों (सर्कुलर) का पालन करेंगे।

वेबसाइट

28. प्रत्येक सूचकांक प्रदाता की एक ऐसी वेबसाइट हो जो चलती रहे, और उस पर वह जानकारी दी जाएगी जो बोर्ड देने को कहे और साथ ही सूचकांक प्रदाता की ईमेल आईडी भी हो।

अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति

29. (1) प्रत्येक सूचकांक प्रदाता को एक अनुपालन अधिकारी (कंप्लायन्स ऑफिसर) नियुक्त करना होगा, जो इस पर नज़र रखने के लिए जिम्मेदार होगा कि अधिनियम, उसके तहत बनाए गए नियमों तथा विनियमों और बोर्ड द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं, जारी किए गए दिशानिर्देशों तथा परिपत्रों (सर्कुलर) का पालन हो रहा है या नहीं।

(2) यदि अनुपालन अधिकारी को कहीं ऐसा लगे कि प्रावधानों का पालन नहीं हो रहा है, तो वह उसकी जानकारी बोर्ड को स्वतंत्र रूप से और जल्द से जल्द (किंतु ऐसी किसी बात का पता चलने की तारीख से सात कार्य-दिवसों के भीतर) देगा।

बोर्ड के पास जानकारी प्रस्तुत करना

30. (1) जब बोर्ड सूचकांक प्रदाता से इन विनियमों के तहत कोई जानकारी देने (जिसमें कार्यों आदि से जुड़ी कोई रिपोर्ट देना भी शामिल है) को कहे, तब सूचकांक प्रदाता बोर्ड को वह जानकारी,-

(क) बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई अवधि के भीतर देगा; या

(ख) यदि कोई अवधि निर्धारित न की गई हो, तो वाजिब समय के भीतर देगा।

(2) प्रत्येक सूचकांक प्रदाता, प्रत्येक लेखा-अवधि के समाप्त होने पर, बोर्ड के पास अपने तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) तथा लाभ-हानि के बही-खाते की प्रतियाँ प्रस्तुत करेगा।

(3) जब तक सूचकांक प्रदाता रजिस्टर रहे तब तक और जिस तारीख से वह रजिस्टर न रहे उस तारीख से एक वर्ष की अवधि तक, वह अपने कामकाज के संबंध में बोर्ड द्वारा पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर देगा और मांगी जाने वाली समस्त जानकारी तथा डाटा देगा।

अध्याय - VI

विशेष लेखापरीक्षा

विशेष लेखापरीक्षा (ऑडिट) करवाने का निदेश देने का बोर्ड का अधिकार

31. बोर्ड असाधारण परिस्थितियों में किसी सूचकांक प्रदाता से संबंधित बही-खातों, रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जाँच-पड़ताल हेतु विशेष लेखापरीक्षा करवाने का निदेश दे सकेगा।

विशेष लेखापरीक्षा के दौरान सूचकांक प्रदाता का दायित्व

32. जिस सूचकांक प्रदाता के संबंध में विनियम 31 के अनुसार विशेष लेखापरीक्षा करवाने का आदेश दिया गया हो, उसके और ऐसे किसी अन्य सहयोगी व्यक्ति (जिनमें वे एंटिटियाँ भी शामिल हैं जिन्होंने साथ मिलकर सूचकांक बनाया हो) के या उन अन्य पक्षों (जिनकी बेंचमार्क तय करने की प्रक्रिया में कोई भूमिका रही हो) के प्रत्येक अधिकारी (जिसके पास उस सूचकांक प्रदाता के कामकाज आदि से जुड़ी कोई अहम जानकारी हो) का यह कर्तव्य होगा कि वह विशेष लेखापरीक्षक (ऑडिटर) के पास वे बहियाँ, खाते और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करे जो उसके पास पड़े हों या जिन पर उसका नियंत्रण हो और साथ ही वह समस्त विवरण एवं जानकारी दे (जिसमें इन दस्तावेजों, बहियों या खातों की प्रमाणित प्रतियाँ देना भी शामिल है) तथा हर संभव सहायता और सहयोग दे, जो भी विशेष लेखापरीक्षा हेतु देने को कहा जाए।

बोर्ड के पास रिपोर्ट प्रस्तुत करना

33. विशेष लेखापरीक्षक, विशेष लेखापरीक्षा पूरी हो जाने के बाद, बोर्ड के पास रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा:

परंतु यह कि यदि बोर्ड विशेष लेखापरीक्षक को अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दे, तो उसे वह भी प्रस्तुत करनी होगी।

सूचकांक प्रदाता को निष्कर्षों से अवगत कराना

34. बोर्ड विशेष लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, विशेष लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्षों से सूचकांक प्रदाता को अवगत करा सकेगा, और सूचकांक प्रदाता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर सकेगा।

लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संबंध में कार्रवाई

35. बोर्ड, विशेष लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संबंध में सूचकांक प्रदाता के जवाब पर गौर करने के बाद, ऐसी कार्रवाई करेगा, जो भी वह ठीक समझे, जिसमें भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 [सेबी (इंटरमीडियरीज़) रेग्यूलेशन्स, 2008] के तहत कार्रवाई करना भी शामिल है।

अध्याय - VII**चूक होने के मामले में कार्रवाई**

36. जो सूचकांक प्रदाता अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, उसके खिलाफ भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 के तहत या अधिनियम और उसके तहत बनाए गए विनियमों के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकेगी।

अध्याय - VIII**विविध****प्रावधानों को कड़ाई से लागू किए जाने के संबंध में छूट**

37. (1) बोर्ड स्वयं या सूचकांक प्रदाता द्वारा आवेदन किए जाने पर, ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में दर्ज किए जाएँगे, इन विनियमों के किसी प्रावधान को कड़ाई से लागू किए जाने से उन शर्तों के तहत छूट प्रदान कर सकेगा, जो बोर्ड निवेशकों तथा प्रतिभूति बाजार (सिक्क्यूरिटीज़ मार्केट) के हित में और प्रतिभूति बाजार के विकास के लिए लगाना ठीक समझे, यदि बोर्ड इस बात से संतुष्ट हो जाए कि:

(क) ऐसा करना प्रक्रिया के लिहाज से जरूरी है; या

(ख) पालन ऐसे कारणों से नहीं हो पाया, जो एंटीटी के नियंत्रण से परे थे।

(2) उप-विनियम (1) में जिस आवेदन का जिक्र किया गया है, उसके साथ पचास हजार रुपये मात्र की फीस (जो लौटाई नहीं जाएगी) अदा करनी होगी, जो एनईएफटी / आरटीजीएस / आईएमपीएस के जरिए या ऑनलाइन ही सेबी के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए बैंक खाते में सीधे जमा करके या किसी अन्य माध्यम (जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए) से अदा की जाएगी।

स्पष्टीकरण जारी करने की बोर्ड की शक्ति

38. इन विनियमों के प्रावधानों के लागू होने को लेकर या उनके आशय को लेकर यदि किसी तरह की कोई कठिनाई आए, तो उसे दूर करने के लिए बोर्ड परिपत्रों (सर्कुलर) के जरिए स्पष्टीकरण और दिशानिर्देश जारी कर सकेगा।

पहली अनुसूची

फॉर्म-क

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचकांक प्रदाता) विनियम, 2024

[विनियम 4(2) देखें]

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने हेतु आवेदन

आवेदक का नाम:

संपर्क व्यक्ति का नाम:

दूरभाष सं.:

फैक्स नं.:

फॉर्म भरने के लिए अनुदेश -

1. आवेदकों को आवेदन फॉर्म पूरा भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ बोर्ड के पास प्रस्तुत करना होगा। जरूरी दस्तावेजों को किसी नोटरी पब्लिक से सही प्रति के रूप में प्रमाणित करवाना होगा।
2. यह आवेदन फॉर्म इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के अनुसार भरा जाए।
3. रजिस्टर होने के लिए किए गए आवेदन पर केवल तभी विचार किया जाएगा, जब वह हर तरह से पूरा हो।
4. सभी जवाब टाइप करवाकर ही प्रस्तुत किए जाएँ।
5. जो जानकारी ज्यादा विस्तार से देनी जरूरी हो, वह जानकारी अलग पृष्ठों पर दी जा सकेगी, और जो आवेदन फॉर्म के साथ लगाए जाएँ।
6. आवेदन पर सभी हस्ताक्षर मूल रूप में होंगे।
7. फॉर्म के प्रत्येक पृष्ठ और प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ पर आवेदक के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर अवश्य हों।

1.0 आवेदक के विवरण

- 1.1 आवेदक का नाम, पंजीकृत (रजिस्ट्रीकृत) कार्यालय का पता, पत्र-व्यवहार का पता, दूरभाष संख्या (संख्याएँ), फैक्स नंबर और कंपनी के संपर्क व्यक्ति का नाम। शाखा कार्यालय (यदि कोई हो) का पता।
- 1.2 आवेदक कंपनी के गठन की तारीख (गठन संबंधी प्रमाणपत्र और संगम ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद लगाएँ) और नीचे दी गई जानकारी प्रदान करें:
 - (क) आवेदक कंपनी के उद्देश्य (मुख्य उद्देश्य और मुख्य उद्देश्यों से संबंधित उद्देश्य)
 - (ख) प्राधिकृत पूँजी (अथॉराइज़्ड कैपिटल), निर्गमित पूँजी (इश्यूड कैपिटल), अभिदत्त पूँजी (सबस्क्राइब्ड कैपिटल) और समादत्त पूँजी (पेड-अप कैपिटल)
- 1.3 आवेदक कंपनी किस श्रेणी में आती है:
 - (क) सीमित देनदारियों वाली कंपनी (लिमिटेड कंपनी) – प्राइवेट / पब्लिक
 - (ख) असीमित देनदारियों वाली कंपनी (अनलिमिटेड कंपनी)

यदि आवेदक कंपनी सूचीबद्ध (लिस्टिड) हो, तो स्टॉक एक्सचेंजों के नाम और शेयरों की अंतिम कीमत बताएँ।
- 1.4 आवेदक कंपनी किस श्रेणी में आती है (विनियम 4 देखें):
 - (क) क्या कंपनी पहले से ही सूचकांक प्रदाता के रूप में कामकाज कर रही है।

2.0 पात्रता मानदंड

2.1. अंतिम लेखापरीक्षित (ऑडिटेड) लेखों {जो आवेदन की तारीख से तीन महीने से ज्यादा पुराने न हों [विनियम 5(ख) देखें]} के अनुसार कंपनी की शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ)। इसे प्रमाणित करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट / प्रमाणित लोक लेखापाल (पब्लिक अकाउंटेंट) का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।

3.0 निदेशकों / मुख्य कर्मचारियों के विवरण

3.1. कंपनी के निदेशकों के विवरण, जिनमें शामिल होंगे – उनका नाम, उनकी योग्यता, उनका अनुभव, उनके पास कंपनी के कितने शेयर हैं और वे किन दूसरी कंपनियों में निदेशक के पद पर हैं।

3.2. कंपनी के मुख्य कर्मचारियों के विवरण, जिनमें शामिल होंगे – उनका नाम, कंपनी में उनका पद, उनकी योग्यता, पहले वे कौन-कौन से पद पर रहे हैं, उनका अनुभव, कंपनी में उनकी नियुक्ति की तारीख और उनके द्वारा देखे जाने वाले कार्य।

4.0 बुनियादी सुविधाएँ

4.1. बुनियादी सुविधाओं के ब्यौरे, जिनमें शामिल होंगे – कंपनी के यहाँ कंप्यूटर आदि की क्या सुविधाएँ मौजूद हैं, कंपनी के यहाँ अनुसंधान (रिसर्च) की क्या सुविधाएँ मौजूद हैं और कंपनी के यहाँ उपलब्ध डाटाबेस की जानकारी, और साथ ही यह जानकारी कि क्या मौजूदा बुनियादी सुविधाएँ पर्याप्त हैं। यह जानकारी भी दी जाए कि क्या बुनियादी सुविधाएँ बढ़ाने / उनमें सुधार करने की कोई और योजना है।

5.0 बड़े शेयरधारक

5.1. बड़े शेयरधारकों (जिनके पास पड़े शेयर या जिनके पास पड़े शेयर और उनके सहयोगियों के पास पड़े शेयर मिलाकर आवेदक के कुल शेयरों के 5% या उससे अधिक हों) की सूची:

..... तक की स्थिति के अनुसार उनके पास कितने शेयर पड़े हैं

शेयरधारक का नाम	कितने शेयर पड़े हैं	कंपनी की कुल समादत्त पूँजी (पेड-अप कैपिटल) में हिस्सा (% में)

6.0 सहयोगी कंपनियाँ आदि

6.1. सहयोगी कंपनियों आदि के विवरण, जिनमें शामिल होंगे – उनके नाम, पते, वे किस तरह का कार्य करती हैं, सहयोगी कंपनी आदि में आवेदक कंपनी का किस प्रकार का हित है, सहयोगी कंपनी आदि में आवेदक के संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों) [प्रमोटर] का किस प्रकार का हित है।

6.2. क्या बोर्ड ने आवेदक के सहयोगी को सूचकांक प्रदाता के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया है या उसे रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने से इनकार किया है (जहाँ भी लागू हो)।

6.3. आवेदन की तारीख, रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने से इनकार किए जाने की तारीख / रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने की तारीख, रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने से इनकार किए जाने के कारण आदि जैसे ब्यौरे भी दें।

7.0 कंपनी के कारोबार की जानकारी

7.1. पूरा पिछला रिकॉर्ड, मुख्य घटनाओं और किए जा रहे मौजूदा कार्यों की जानकारी। सूचकांक प्रदाता के रूप में किए गए कामकाज का कितना अनुभव है, इसके ब्यौरे।

- 7.2 यदि कंपनी पहली बार सूचकांक प्रदाता के रूप में कामकाज करना चाह रही हो, तो ऐसे में खास तौर पर यह बताया जाए कि कंपनी की कारोबार योजना क्या होगी और यह भी बताया जाए कि जिस कार्य के लिए कंपनी रजिस्टर होना चाहती है, उस कार्य का दायरा कितना बड़ा होगा और उससे कितनी आमदनी हो सकती है।
- 7.3 सूचकांकों से संबंधित जानकारी (यह जानकारी तभी दी जाए जब सूचकांक का इस्तेमाल भारत के प्रतिभूति बाजार में किया जाना हो)
- (क) जो सूचकांक बनाए गए हैं / बनाए जाएँगे, उनकी सूची, और यह जानकारी कि वे किस-किस तरह के हैं / होंगे
- (ख) पहला सूचकांक लाए जाने की तारीख
- (ग) लाए गए पहले सूचकांक की संक्षिप्त जानकारी
- (घ) जिन 'प्रमुख सूचकांकों' का प्रबंधन किया जा रहा हो, उनके ब्यौरे
- (ङ) वर्तमान में भारत के बाजारों में जिन सूचकांकों का इस्तेमाल किया जा रहा है उनकी सूची, और यह जानकारी कि वे किस-किस तरह के हैं
- (च) वर्तमान में दूसरे देशों में जिन सूचकांकों का इस्तेमाल किया जा रहा है उनकी सूची, और यह जानकारी कि वे किस-किस तरह के हैं
- (छ) उन सूचकांकों की सूची जो सूचकांक प्रदाता भारत के बाजारों के लिए बनाना चाहता है, और यह जानकारी कि वे किस-किस तरह के होंगे
- (ज) जो सूचकांक भारत के बाजारों के लिए बनाए जाने हैं, उन्हें लाए जाने की तारीख और उन्हें बनाने के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति का विस्तृत ब्यौरा
- 7.4 कोई अन्य जानकारी, जो आवेदक द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के संबंध में जरूरी समझी जाए।

8.0 विविध जानकारी

- (क) क्या आवेदक किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण (रेग्युलेटरी अथॉरिटी) के दायरे में आता है; यदि हाँ, तो उसके ब्यौरे दें।
- (ख) दूसरे देशों में प्राप्त मान्यता के ब्यौरे (यदि कोई हों)।
- (ग) क्या सूचकांक प्रदाता के खिलाफ पिछले 5 वर्षों में कोई अनुशासनिक कार्रवाई की गई है।
- (घ) क्या कभी किसी विनियामक प्राधिकरण (रेग्युलेटरी अथॉरिटी) द्वारा रजिस्टर करने से इनकार किया गया है या रजिस्ट्रीकरण वापस लिया गया है।
- (ङ) सूचकांक के प्रबंधन के कार्य में कितने कर्मचारी लगे हुए हैं?
- (च) ऐसे कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता के ब्यौरे दें

9.0 आवेदक की वित्तीय जानकारी

- 9.1. शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) (लाख रुपये में)

मद	चालू वर्ष के पहले से पहले वाला वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष
(क) समादत्त पूँजी (पेड-अप कैपिटल)			
(ख) खुली आरक्षितियाँ (फ्री रिज़र्व) [पुनर्मूल्यांकन (रीवैल्युएशन) के बाद की आरक्षितियों को छोड़कर]			

कुल (क) + (ख)			

(ग) कुल मिलाकर कितना नुकसान हुआ			
(घ) बट्टे-खाते न डाले गए आस्थगित राजस्व व्यय			
शुद्ध-मालियत (क) + (ख) - (ग) - (घ)			

9.2 पिछले तीन वर्षों के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे संलग्न करें। यदि अलेखापरीक्षित रिपोर्टें प्रस्तुत की जाती हैं, तो उसके कारण बताएँ। यदि न्यूनतम शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) संबंधी अपेक्षा पिछले लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे तैयार किए जाने के बाद पूरी की गई हो, तो ऐसे में किसी बाद की तारीख के लेखापरीक्षित लेखा-विवरण भी प्रस्तुत किए जाएँ।

9.3 आवेदक कंपनी के मुख्य बैंकों के नाम और पते।

9.4 लेखापरीक्षकों (ऑडिटर) के नाम और पते।

10.0 अन्य जानकारी

10.1. आवेदक कंपनी, उसके निदेशकों और कर्मचारियों के खिलाफ चल रहे सभी मुकदमों के ब्यौरे :

विवाद का प्रकार	पक्ष (पार्टी) का नाम	स्थिति
-----------------	----------------------	--------

10.2 यदि पिछले तीन वर्षों में, आवेदक या उसके किसी निदेशक या उसके प्रबंध-मंडल के किसी मुख्य व्यक्ति पर धोखाधड़ी या आर्थिक अपराध में शामिल होने का कोई आरोप आदि लगाया गया हो, तो उसके ब्यौरे।

11.0 घोषणा

11.1. नीचे दी गई घोषणा प्रस्तुत की जाए (जिस पर दो निदेशकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएँ):

मैं/हम, एतद्वारा, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता हूँ/करती हूँ / करते हैं।

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ / करते हैं कि मैंने/हमने ऊपर दिए गए प्रश्नों के सत्यतापूर्वक और पूर्ण रूप से उत्तर दिए हैं और वह समस्त जानकारी दे दी है जो मेरे/हमारे रजिस्ट्रीकरण के लिए जरूरी समझी जा सकती है।

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ / करते हैं कि आवेदन फॉर्म में दी गई जानकारी पूर्ण और सही है।

(आवेदक का नाम)

के लिए और उसकी ओर से

निदेशक

निदेशक

संलग्नक:

1. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र / गठन से संबंधित प्रमाणपत्र
2. हाल ही में बनाई गई एक विस्तृत रिपोर्ट, जो किसी बाहरी लेखापरीक्षक (ऑडिटर) द्वारा स्वतंत्र रूप से की गई लेखापरीक्षा (ऑडिट) के बाद जारी की गई हो और जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि वित्तीय (फाइनेंशियल) बेंचमार्कों के मामले में आयस्को के सभी सिद्धांतों का पालन कर लिया गया है

फॉर्म-ख**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचकांक प्रदाता) विनियम, 2024****[विनियम 9(1) देखें]****[रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र]**

- I. बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पठित, सेबी अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा, इन विनियमों के अनुसार और इन विनियमों में दी हुई शर्तों के तहत, सूचकांक के प्रबंधन संबंधी कार्य करने के लिए, _____ को सूचकांक प्रदाता के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है
- II. सूचकांक प्रदाता की रजिस्ट्रीकरण सं. है : ।
- III. यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तब तक मान्य रहेगा, जब तक इसे बोर्ड द्वारा निलंबित या रद्द न कर दिया जाए ।

स्थान:**तारीख:**

आदेश द्वारा

ह/-

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
के लिए और की ओर से

दूसरी अनुसूची**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचकांक प्रदाता) विनियम, 2024****[विनियम 4(2) एवं 9(3) देखें]****फीस****भाग-क****फीस के रूप में अदा की जाने वाली रकम**

1.	रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए आवेदन फीस	रु.50,000
2.	रजिस्ट्रीकरण फीस	रु.25,00,000
3.	आवर्ती (रिकरिंग) रजिस्ट्रीकरण फीस (प्रत्येक तीन वर्ष के लिए)	रु.15,00,000

भाग-ख

1. जिस सूचकांक प्रदाता को विनियम 9(1) के तहत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो, वह, भाग-क की मद सं. 2 में दी हुई फीस, बोर्ड की ओर से सूचना मिलने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर अदा करेगा।
2. जिस सूचकांक प्रदाता को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो, वह, अपना रजिस्ट्रीकरण जारी रखने के लिए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने की तारीख से छठे वर्ष से प्रत्येक तीन वर्षों हेतु, भाग-क की मद सं. 3 में दी हुई फीस अदा करेगा।
3. उपरोक्त फीस एनईएफटी / आरटीजीएस / आईएमपीएस के जरिए या ऑनलाइन ही सेबी के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए बैंक खाते में सीधे जमा करके या किसी अन्य माध्यम (जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए) से अदा की जाएगी।
4. भाग-क की मद सं. 3 के अनुसार प्रत्येक तीन वर्षों हेतु अदा की जाने वाली रजिस्ट्रीकरण फीस (आवर्ती/रिकरिंग) सूचकांक प्रदाता द्वारा उस ब्लॉक के समाप्त होने की तारीख से एक महीने पहले अदा की जाएगी, जिस ब्लॉक के लिए फीस अदा की चुकी हो।

तीसरी अनुसूची**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचकांक प्रदाता) विनियम, 2024****[विनियम 12 देखें]****सूचकांक प्रदाताओं के लिए आचार संहिता**

1. सूचकांक प्रदाता अपना समस्त कारोबार पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्पक्षता से करेगा।
2. सूचकांक प्रदाता तत्परता से, नैतिकता से और पेशेवर ढंग से अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा।
3. सूचकांक प्रदाता, हमेशा पूरी तत्परता बरतेगा, पूरी सावधानी बरतेगा और स्वतंत्र रूप से एवं पेशेवर ढंग से निर्णय लेगा, ताकि सूचकांक या बेंचमार्क बनाने की प्रक्रिया में निष्पक्षता और स्वतंत्रता बनी रहे।
4. सूचकांक प्रदाता सूचकांक का प्रबंधन करने के संबंध में जो भी निर्णय लेगा, वह ठोस आधार पर तथा हर पहलू पर बारीकी से गौर करने के बाद (रिसर्च करने के बाद) ही लेगा। लिए गए ऐसे सभी निर्णयों के संबंध में वह जरूरी दस्तावेज आदि भी संभालकर रखेगा।
5. सूचकांक प्रदाता के यहाँ प्रबंधन की जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वह आयस्को के अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार होगी।
6. सूचकांक प्रदाता इस बाजार में हो रहे उन बड़े बदलावों पर नज़र रखेगा जिनकी वजह से सूचकांक की गणना करने की पद्धति में बदलाव करना जरूरी हो जाए और इसके लिए वह ऐसी कारगर व्यवस्थाएँ भी निर्धारित करेगा जिससे कि सूचकांक का मूल्य समय पर और सही-सही निकाला जा सके।
7. सूचकांक प्रदाता द्वारा जो भी पद्धति अपनाई जाएगी उसकी जानकारी वह अपने ग्राहकों को और आम जनता को देगा।
8. सूचकांक प्रदाता, जहाँ जरूरी हो, अपने ग्राहकों को यह जानकारी देगा कि कहाँ-कहाँ किसी का हित उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आड़े आ सकता है और कहाँ-कहाँ हित-विरोध की संभावना है, जिसकी वजह से निष्पक्ष रूप से और सही तरीके से सूचकांक बनाने की उसकी क्षमता पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा, सूचकांक प्रदाता यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसकी निगरानी समिति के किसी भी सदस्य और उसके ग्राहकों के बीच किसी प्रकार का हित-विरोध न हो।

9. सूचकांक प्रदाता बोर्ड और ग्राहकों के पास प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों, प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टों या जानकारी में अथवा आम जनता के लिए जारी किए जाने वाले दस्तावेजों, प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टों या जानकारी में न तो किसी तरह की कोई गलत बयानबाजी करेगा और न ही कोई अहम तथ्य छिपाएगा।
10. सूचकांक प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि किसी कानूनी प्रावधान, नियम, विनियम का और बोर्ड या किसी अन्य विनियामक निकाय (रेग्युलेटरी बॉडी) या न्यायालय आदि के निदेशों का उल्लंघन करने या उनका पालन न करने की वजह से यदि सूचकांक प्रदाता के खिलाफ कोई कार्रवाई या कानूनी कार्यवाही आदि शुरू की जाती है, तो सूचकांक प्रदाता उसकी सूचना बोर्ड को तुरंत (अधिक से अधिक चार कार्य-दिवसों के भीतर) देगा।
11. सूचकांक प्रदाता सदैव यह सुनिश्चित करेगा कि उसके यहाँ कार्यरत व्यक्ति न केवल अपने कार्यों के जानकार हों बल्कि अपने कार्यों में सक्षम भी हों, और साथ ही वह अधिनियम और विनियमों के उन प्रावधानों का और जारी किए गए उन परिपत्रों का पालन भी सुनिश्चित करेगा, जो सूचकांक प्रदाता द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संबंध में लागू हों।
12. सूचकांक प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पास जो भी जानकारी (जिसमें सूचकांक या बेंचमार्क के प्रबंधन के संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों अथवा किए जाने वाले बदलावों की जानकारी शामिल है) रहती है उसका किसी भी तरह से कोई गलत इस्तेमाल न हो।
13. सूचकांक प्रदाता अपने अनुपालन अधिकारी (कंप्लायंस ऑफिसर) को इतनी आज़ादी देगा और इतनी शक्तियाँ देगा कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से कर पाए।
14. सूचकांक प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके यहाँ अच्छी कारपोरेट नीतियाँ और अच्छे कंपनी संचालन (कारपोरेट गवर्नेंस) संबंधी नीतियाँ अपनाई जाएँ।
15. सूचकांक प्रदाता जिस सूचकांक या बेंचमार्क का प्रबंधन करता हो, वह उनके संबंध में, किसी भी प्रकार से —
 - (क) न तो बनावटी सौदेबाजी करेगा और न ही उसमें शरीक होगा;
 - (ख) न तो कीमतों में किसी भी तरह से हेराफेरी करेगा और न ही उसमें शरीक होगा; या
 - (ग) न तो किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) हो चुकी या सूचीबद्ध होने वाली प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) से संबंधित कोई 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' (यू.पी.एस.आई.) किसी को देगा, और न ही उसे देने में किसी भी तरह से शरीक होगा।"

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./819/2023-24]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 8th March, 2024

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (INDEX PROVIDERS) REGULATIONS, 2024

A regulation to provide for a regulatory framework for Index Providers in the securities market with the objective of fostering transparency and accountability in governance and administration of Indices.

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/167.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 read with sub-section (2) of Section 11 and Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Securities and Exchange Board of India hereby, makes the following regulations, namely,—

CHAPTER I
PRELIMINARY

Short title and commencement.

1. (1) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Index Providers) Regulations, 2024.

(2) These regulations shall come into force on the one hundred and eightieth day from the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions.

2. (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall bear the meanings assigned to them and their cognate expressions and variations shall be construed accordingly, —

- (a) “Act” means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);
- (b) “Administration” means all stages and processes involved in the production and dissemination of a benchmark or index, and includes—
- (i) collecting, analyzing or processing information or expressions of opinion for the purposes of determination of a benchmark or index;
 - (ii) determining a benchmark or index through the application of a formula or through another method of calculating the information or expressions of opinions provided for that purpose; and
 - (iii) dissemination to subscribers, including any review, adjustment and modification to this process.
- (c) “Audit Trail” means the documentation and retention of all relevant data, submissions, other information, judgments, including the rationale for any inclusion or exclusion of data, analysis and identities of submitters of information used in the benchmark setting process for an appropriate period;
- (d) “Benchmark” or “Index” means prices, estimates, rates or values, used in relation to securities that are:
- (i) made available to subscribers; whether free of charge or for payment;
 - (ii) calculated periodically; entirely or partially by the application of a formula or another method of calculation or an assessment of the value of one or more underlying interests;
 - (iii) used as reference for purposes that include:
 1. determining the price at which a financial instrument may be bought or sold or traded or redeemed or the value of a financial instrument; or
 2. measuring the performance of a financial instrument.
- (e) “Board” means the Board as defined in clause (a) of sub-section (1) of section 2 of the Act;
- (f) “body corporate” means a body corporate as defined in sub-section (11) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (g) “certificate” means a certificate of registration granted by the Board under these regulations;
- (h) “Change in control” in case of a body corporate –
- (A) if its shares are listed on any recognised stock exchange, shall be construed with reference to the definition of control in terms of regulations framed under clause (h) of sub-section (2) of section 11 of the Act;
 - (B) if its shares are not listed on any recognised stock exchange, shall be construed with reference to the definition of control as provided in sub-section (27) of Section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (i) “Submitter” means a person providing information to an Index Provider in connection with the determination of a Benchmark or an Index;
- (j) “Contribution of input data” means providing any data not readily available with the Index Provider in connection with the computation of Benchmark or an Index;

- (k) “Expert Judgement” means the exercise of discretion by an Index Provider or Submitter with respect to the use of data in determining a Benchmark with due documentation of the rationale and includes extrapolating values from prior or related transactions or adjusting values for factors that might influence the quality of data such as market events or impairment of the credit quality of a buyer or seller;
- (l) “Form” means any of the Forms set out in the First Schedule;
- (m) “Index Provider” means a person who controls the creation, operation and administration of a Benchmark or an Index, whether or not it owns the intellectual property rights relating to the Benchmark or an Index, and is in particular, responsible for all stages of the Benchmark or an Index administration process, including:
- (i) the calculation of the Benchmark or an Index;
 - (ii) determining and applying the Benchmark or an Index methodology; and
 - (iii) disseminating the Benchmark or an Index.
- (n) “Methodology” means the written rules and procedures according to which information is collected and the Benchmark or an Index is determined;
- (o) “Net-worth” shall have the same meaning assigned to it under sub-section (57) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (p) “Publish or make available” refers to the requirement of an Index Provider to provide a document or notice to the Stakeholders where the means by which such notice is made, is proportionate to the breadth and depth of the use of Benchmark by the Stakeholders, as determined by the Index Provider on a “best effort” basis.

Explanation: Document or notice published on the website of an Index Provider shall ordinarily be considered as compliance with this requirement;

- (q) “Regulated Market or Exchange” means a market or exchange that is regulated or supervised or both by a Regulatory Authority;
- (r) “Regulatory Authority” means a governmental or statutory body not being a Self-Regulatory Organisation that is mandated to regulate the securities or commodities and futures market or both;
- (s) “Schedule” means a schedule to these regulations;
- (t) “Securities” shall have the meaning assigned to it under clause (h) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956);
- (u) “Significant Indices” means Indices administered by an Index Provider, which are tracked or benchmarked by domestic mutual fund schemes with the cumulative assets under management exceeding the limits as may be specified from time to time.
- Explanation:** The list of ‘Significant Indices’ shall be specified by the Board from time to time.
- (v) “Stakeholder” refers to subscribers and other persons or entities who own contracts or financial instruments that reference a Benchmark;
- (w) “Stock exchange” means a stock exchange which is recognised by the Board under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956);
- (x) “Submission” means and includes prices, estimates, values, rates or information provided by a Submitter to an Index Provider for the purpose of determining a Benchmark but does not include data sourced from Regulated Markets or Stock Exchanges with mandatory post-trade transparency requirements;
- (y) “subscriber” means an entity that is availing Indices from Index Providers.

(2) All other expressions unless defined herein shall have the same meaning as have been assigned to them under the Act or the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) or the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

Applicability of these Regulations.

3. (1) These regulations shall be applicable only to Index Providers that administer Significant Indices consisting of securities listed on a recognized stock exchange in India for use in the Indian securities market.
- (2) These regulations shall not be applicable to Index Providers, who administer:-

- (a) their Indices consisting only of global asset classes or consisting of global assets and Indian securities whether for use in the Indian securities market or elsewhere;
- (b) their Indices for exclusive use in a foreign jurisdiction.

CHAPTER II

REGISTRATION OF INDEX PROVIDERS

Application for grant of certificate of registration.

4. (1) On and from the date of commencement of these regulations, no entity shall act as an Index Provider without a certificate of registration issued by the Board

Provided that an existing entity falling within the scope of these regulations and which is not registered with the Board may continue to carry on its activity for a period of six months from the date of commencement of these regulations or if it has made an application for registration under sub-regulation (2) within the said period of six months, till the disposal of such application:

Provided further that 'Benchmarks' in the financial markets regulated by the Reserve Bank of India including the 'Significant Benchmarks' notified by the Reserve Bank of India under section 45 W of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) shall be excluded from the purview of these regulations.

(2) An application for the grant of a certificate under sub-regulation (1) shall be made to the Board in Form A of the First Schedule and shall be accompanied by a non-refundable application fee, as specified in Part A of the Second Schedule, to be paid in the manner as specified in Part B.

(3) The applicant shall file with the Board the compliance assessment report that was issued during the preceding twelve months by an independent external auditor for confirming adherence to all International Organization of Securities Commissions Principles for the Financial Benchmarks along with the duly filed application.

(4) In case of any failure to comply with the requirement under sub-regulation (3), the applicant shall provide reasons in writing to the Board with an undertaking to submit within six months from the date of grant of certificate of registration by the Board, the detailed report confirming adherence to all International Organization of Securities Commissions Principles for the Financial Benchmarks:

Provided that the Board may at its own discretion provide a requisite extension from the submission of International Organization of Securities Commissions Principles compliance report.

Eligibility criteria

5. The Board shall not consider an application for grant of a certificate of registration under regulation 4 unless the applicant satisfies the following conditions namely: -

(a) the applicant is an entity incorporated under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or an equivalent legislation in the country of incorporation:

Provided that a stock exchange or other regulated intermediary undertaking Index Provider activities departmentally shall be required to form a separate legal entity to carry out the activities of an Index Provider within a period of two years from the date of commencement of these regulations.

(b) the applicant has a minimum net worth of twenty-five crore rupees or an equivalent amount in the currency of the country in which the applicant is incorporated, determined on the basis of prevailing foreign exchange rate at the time of application:

Provided that, an existing entity falling within the scope of these regulations and which is not registered with the Board as an Index Provider, shall comply with the net worth requirement criteria within a period of two years from the date of grant of the certificate of registration.

(c) the applicant has in place necessary infrastructure and adequate human resources with the relevant professional qualifications to conduct the operations and business of an Index Provider.

(d) the applicant, its promoters and directors fulfil the fit and proper requirement for the grant of a certificate of registration.

Criteria for Fit and Proper person.

6. For the purpose of determining whether an applicant is a fit and proper person, the Board shall take into account the criteria specified in Schedule II of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008:

Provided that, where the promoter of an Index Provider is a stock exchange, clearing corporation or depository, the criteria for determining the fit and proper status of an Index Provider shall be as per the fit and proper criteria specified in Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018 and the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018.

Application to conform to the requirements

7. Any application for a certificate, which is not complete in all respects or does not conform to the requirement of regulation 5 or instructions specified in Form A of the First Schedule shall be rejected by the Board:

Provided that before rejecting any such application, the applicant shall be given an opportunity to remove, within thirty days of the date of receipt of the relevant communication from the Board, such objections as may be indicated by the Board:

Provided further that the Board may, on sufficient reason being shown, extend the time for removal of objections by such further time as the Board may consider fit but not exceeding thirty days, to enable the applicant to remove such objections.

Furnishing of information and personal representation.

8. (1) The Board may require the applicant to furnish such further information or clarification as may be considered necessary for the grant of the certificate of registration as an Index Provider.
(2) The applicant or its authorized representative shall, if so required by the Board appear before the Board for personal representation in connection with the grant of a certificate.

Grant of certificate of registration.

9. (1) The Board, on being satisfied that the applicant is eligible, shall grant a certificate of registration in Form B of the First Schedule and send an intimation to that effect to the applicant.
(2) The certificate of registration granted under sub-regulation (1) shall be valid unless it is suspended or cancelled by the Board.
(3) The grant of a certificate of registration shall be subject to the payment of the registration fees as specified under Part A of Second Schedule in the manner as specified in Part B thereof.

Conditions of certificate

10. The certificate granted under regulation 9 shall be subject to the following conditions, namely:
- (a) the Index Provider shall comply with the provisions of the Act, Rules and Regulations made thereunder and the guidelines, circulars and directions issued by the Board from time to time;
 - (b) change in the information or particulars furnished to the Board by the Index Provider at the time of making the application for a certificate, shall be informed to the Board in writing within thirty days;
 - (c) the Index Provider shall obtain the prior approval of the Board in case of any change in control;
 - (d) the Index Provider shall at all times maintain the minimum net worth as specified in sub-regulation (b) of regulation 5 of these regulations and submit an audited net worth certificate from a statutory auditor on a yearly basis by the thirtieth day of September for the preceding financial year.

Procedure where certificate is not granted

11. (1) If after considering an application made under regulation 4, the Board is of the opinion that a certificate of registration shall not be granted, it may, after giving the applicant a reasonable opportunity of being heard, reject the application.
(2) The decision of the Board, to reject the application under sub-regulation (1) shall be communicated to the applicant within a period of thirty days of such decision, with grounds for not accepting the application.

CHAPTER III

GOVERNANCE AND CONFLICT OF INTEREST

Code of Conduct

12. Every Index Provider shall abide by the Code of Conduct specified in the Third Schedule of these regulations.

Governance

13. The Index Provider shall have appropriate governance arrangements in place in order to protect the integrity of the benchmark determination process, mitigate conflict of interest and segregate the persons responsible for index governance from the persons responsible for commercializing the Indices.

Responsibilities

14. (1) The Index Provider shall bear the primary responsibility for all aspects of its benchmark determination process such as the development, calculation and maintenance of an Index and establishment of credible and transparent governance, oversight and accountability procedures and the overall responsibility for the integrity of its indices regardless of the mode or manner utilized for benchmark determination.

(2) An Index Provider that has developed or develops the Index or Benchmark with another entity shall establish roles and responsibilities for each party and design standards for its activities to facilitate delivering the Index or Benchmark according to the Methodology of the Index Provider.

(3) Where activities relating to the benchmark determination process are undertaken by parties other than the Index Provider, an Index Provider shall formulate a framework to monitor such activities of the third parties in compliance with the objective of these regulations and provide for a clearly defined written arrangement that sets out the roles and obligations of all the parties involved in such activities:

Provided that such a requirement shall not be applicable to a third party from whom an Index Provider sources data if that third party is a Regulated Market or a Stock Exchange.

Oversight Committee

15. (1) The Index Provider shall constitute an oversight committee to govern all aspects of the benchmark determination process.

(2) The oversight committee shall consist of individuals who are experienced and knowledgeable in the subject matter.

(3) The oversight committee shall be separate and distinct from the department dealing with the day-to-day process of Index calculation and maintenance.

(4) The oversight committee shall:

- (a) Review the need for change in the Index design or computation methodology due to changes in the market dynamics or for any other reason and evaluate the proposed approach for the change, if any, along with its impact on the existing subscribers or clients;
- (b) Oversee benchmark design and introduction of new financial benchmarks, results of audit and direct implementation of remedial actions recommended by those audits;
- (c) Review procedures for cessation of an Index;
- (d) Oversee standard procedures followed in the exercise of Expert Judgement;
- (e) Periodically review the conditions in the underlying interest which the Index measures to determine whether the interest has undergone structural changes that might require changes to the design of the methodology;
- (f) Examine whether the methodology appropriately reflects the nomenclature and description of the Index and whether the Index is true to label.

Conflict of Interest

16. (1) The Index Provider shall formulate policies and procedures to manage conflict of interest and protect the integrity and independence of the various functions performed in connection with the determination of its Indices.

(2) The Index Provider shall document, implement and enforce these policies and procedures for identification, disclosure, management, mitigation or avoidance of conflict of interest.

(3) The Index Provider shall formulate policies that prevents personal interest or business connections from compromising or conflicting with the performance of its functions, put in place effective procedures to control the exchange of information amongst the staff engaged in the activities involving any potential risk of conflict of interest, require its employees to comply with applicable laws and regulations and that protects confidential and material non-public information:

Provided that such policies shall apply to individuals responsible for any aspect of the oversight function with respect to the Indices as well as to those individuals engaged in the day-to-day governance and operations of calculating and maintaining Indices.

(4) The conflict of interest policies shall clearly specify;

- (a) the manner in which sensitive information shall be protected;

- (b) processes for protection of sensitive information, wherever appropriate; and
- (c) trading restrictions and pre-clearance requirements for appropriate personnel in respect of securities impacted by pending index changes, both of which shall adhere to applicable laws.

Control framework

17. (1) An Index Provider shall put in place a control framework for calculating, maintaining and disseminating the Index which shall be documented and upon request, be made available to the Board.

(2) The control framework shall have an effective whistle-blowing mechanism in place in order to facilitate early awareness of potential misconduct which shall be made available to all employees including the employees of the entities which have co-developed the index or benchmark or of third parties involved with benchmark determining process and the objective of the policy shall be to encourage and support the making of disclosures by such employees who observe any unethical practice or grave misconduct and shall also include the following components:

- (a) Policies and procedures as specified under 'Conflict of Interest';
- (b) Robust processes and a methodology document for calculating and maintaining the Index and the methodology document which shall include a scenario where discretionary judgement could be exercised in connection with rebalance decisions or the revision of constituents or both within Indices;
- (c) Robust mechanism to ensure clear accountability and effective complaint management;
- (d) Sound framework for documenting, maintaining and testing business continuity and recovery procedures;
- (e) Training to all employees including the employees of the entities which have co-developed the Index or Benchmark or of third parties involved with benchmark determining process on ethics and conflicts of interest on a periodic basis;
- (f) A framework addressing the protection of sensitive information and trading restrictions mentioned under 'Conflict of Interest'.

CHAPTER IV

INDEX QUALITY AND METHODOLOGY

Quality of the Index

18. (1) The Index design shall take into account factors which result in a representation of the underlying interest that the Index seeks to measure and shall also seek to eliminate factors that the Index Provider believes might result in a distortion of the price, rate or value of that Index.

(2) The Index Provider shall calculate an Index, using data, that is sufficient to represent the underlying interest measured by the Index.

(3) An Index Provider shall establish and make available in public the guidelines regarding the data inputs and the manner in which such data is used for the calculation and maintenance of an Index.

(4) An Index Provider shall use inputs consistent with the approach to ensure quality, integrity and continuity of its Index calculations and maintenance as set out in the Index Methodology.

(5) (a) An Index Provider may obtain submissions from across a wide universe of market segments and shall perform due diligence on its Data Submitters;

(b) An Index Provider shall formulate a Code of Conduct for Data Submitters to address quality, oversight, conflict of interest management, record-keeping and whistleblowing which shall be published on website of index provider:

Provided that the requirement of framing a Code of Conduct shall not be required for Indices based on transaction data of the Regulated Markets and Stock Exchanges.

(6) (a) An Index Provider shall make the Methodology documents available in public to facilitate an understanding of the manner in which the Index seeks to measure the interest and the manner in which the Index is calculated and maintained.

(b) The Index Provider shall put in place guidelines in cases when the Index Provider uses Expert Judgement to maintain an Index.

(c) An Index Provider, shall provide guidelines specifying the timing of announcements for changes to the Index constituents including replacement of constituents in the Indices in its Methodology document in order to bring about the transparency in the dissemination of information about changes to Index constituents.

Quality of the Methodology

19. (1) The Index Provider shall document and make available in public the methodology used for Index calculation and maintenance to allow an understanding as to the manner the Index is derived and to assess its representativeness, relevance and appropriateness as a reference for financial instruments.

(2) The Index Provider, in order to bring about transparency in the dissemination of information about changes in Index constituent of the Indices, shall frame guidelines in its methodology document addressing time frames for changes to Index constituents by allowing sufficient time for implementation.

(3) The Index Provider shall;

- (a) endeavour to seek market feedback, if required, for making significant changes to the Index methodology;
- (b) review the methodology for an Index on a periodic basis and propose to make changes, if necessary, to adhere to its objective;
- (c) consult and discuss the change in methodology with stakeholders including the market participants, subscribers before implementing the change in methodology; and
- (d) provide advance notice of the implementation of the proposed change in the methodology.

Cessation of Index

20. (1) An Index Provider shall formulate policies and procedures to address the need for possible cessation of an Index taking into account the estimated impact on Market Participants and Subscribers.

(2) The Index Provider shall provide reasonable notice and intimate in advance the subscribers about the cessation of an Index.

(3) Wherever reasonably practical and if required by the subscriber for the Index that is to be discontinued completely, the Index Provider shall maintain the Index for a reasonable period of time and if feasible, shall also provide an alternative Index within a reasonable timeframe:

Provided that the subscribers registered with the Board and tracking the Indices of existing Index Providers who administer Significant Indices, but who are not desirous of seeking registration with the Board or who intend to cease publication of an index or benchmark, shall shift to a new benchmark offered by a registered Index Provider or cease to track the Indices and take all necessary and consequential steps in this regard within a time period of three months of notice of such intent of cessation.

Internal Controls over Data Collection

21. (1) An Index Provider shall maintain internal controls to address the processes for selection of data sources and data Submitters, for data collection and for the protection of data integrity and its confidentiality.

(2) The Regulated Markets and Stock Exchanges shall ensure equal, unrestricted, transparent and fair access of data to all the Index Providers who have entered into a data sharing agreement with them and shall disseminate data without any bias or preference towards its associates and related entities and ensure that there is no disparity in timing, format and manner of information dissemination.

CHAPTER V

ACCOUNTABILITY AND DISCLOSURES

Accountability Mechanism

22. An Index Provider shall establish and make available in public, the complaint redressal policy to facilitate the submission of complaints by subscribers pertaining to whether a specific Index is representative of the underlying interest it seeks to measure, application of the methodology to a specific Index calculation and the decisions in relation to an Index administration process.

Dispute Resolution

23. (1) Index Provider shall provide for a dispute resolution mechanism and all claims, differences or disputes between the Index Providers and the subscribers arising out of or in relation to the activities of an Index

Provider in the securities market shall be submitted to such a dispute resolution mechanism that includes mediation and/or conciliation and/or arbitration, in accordance with the procedure specified by the Board.

(2) Any subscriber to an Index Provider shall have recourse to grievance redressal under these regulations.

Assessment by Independent Auditor

24. (1) An Index Provider shall ensure an assessment of its adherence to International Organization of Securities Commissions Principles for Financial Benchmarks at least once in two years and such assessment shall be performed by an independent external auditor with a proven record of expertise and capability:

Provided that the first assessment of adherence to International Organization of Securities Commissions Principles for Financial Benchmarks shall be provided by the Index Provider within one year of the grant of certificate of registration:

Provided further that where an existing entity not registered with the Board as an Index Provider has been assessed for compliance with International Organization of Securities Commissions Principles during the past one year; the next assessment by the independent external auditors shall be carried out within two years from the date of the last assessment.

(2) The report of the independent external auditor shall be published on the website of the Index Provider.

Submission of Report to the Board

25. The Index Provider shall submit a report to the Board at least once in every two years containing the details of compliance with the International Organization of Securities Commissions Principles for Financial Benchmarks assessed by independent external auditor.

Maintenance of Books of Accounts, records etc.

26. (1) The Index Provider shall maintain written records, audit trails, records related to input data employed in benchmark determination and minutes of meeting of oversight committee for a minimum period of eight years.

(2) The Index Provider shall intimate to the Board the place within India, where all the books of account, records and documents required to be maintained under these regulations are being maintained.

Compliance with guidelines, circulars issued by the Board

27. The Index Providers shall comply with such guidelines and circulars as may be issued by the Board from time to time.

Website

28. Every Index Provider shall maintain a functional website publishing such information as may be specified by the Board and an official email address.

Appointment of Compliance Officer

29. (1) Every Index Provider shall appoint a compliance officer who shall be responsible for monitoring the compliance of the Act, rules and regulations, notifications, guidelines and circulars issued by the Board.

(2) The compliance officer shall immediately and independently report to the Board any non-compliance observed by him as soon as possible, but not later than seven working days from the date of such non-compliance.

Submission of Information to the Board

30. (1) Where any information is called for by the Board from an Index Provider under these regulations, including any report relating to its activities, the Index Provider shall furnish such information to the Board –

(a) within the period specified by the Board; or

(b) if no such period is specified, then within a reasonable time.

(2) Each Index Provider shall, at the close of each accounting period, furnish to the Board copies of its balance sheet and profit and loss account.

(3) During the tenure of registration and for the period of one year after the expiration of the registration the Index Provider shall respond to all queries, information and data that may be sought by the Board in connection with its business as an Index provider.

CHAPTER VI
SPECIAL AUDIT

Board's right to direct Special Audit.

31. The Board may under exceptional circumstances direct a Special Audit to be conducted for examination of the books of account, records and documents relating to an Index Provider.

Obligation of Index Provider during Special Audit.

32. It shall be the duty of every officer of the Index Provider in respect of whom a Special Audit has been ordered under regulation 31 and any other associated person including the entities which have co-developed the Index or of third parties involved with benchmark determining process who is in possession of relevant information pertaining to the conduct and affairs of such Index Provider, to produce before the Special Auditor such books, accounts and other documents in their custody or control and furnish the Auditor with such statements, information and render such possible assistance and such co-operation as may be required for the purposes of the Special Audit including authenticated copies of such documents, books or accounts as may be required for the purposes of the Special Audit.

Submission of report to the Board.

33. The Special Auditor shall, on completion of the Special Audit, submit the report to the Board:
Provided that the Special Auditor may submit an interim report if directed to do so by the Board.

Communication of findings to the Index Provider.

34. The Board may after consideration of the Special Audit Report, communicate such findings of the Special Audit report to the Index Provider and provide reasonable opportunity of hearing to the Index Provider.

Action on audit report.

35. The Board shall after consideration of the response of the Index Provider on the Special Audit Report, take such action as the Board may deem fit and appropriate including action under the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008.

CHAPTER VII
ACTION IN CASE OF DEFAULT

36. An Index Provider who contravenes any of the provisions of the Act, Rules, or Regulations framed thereunder shall be liable for action under the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 or the relevant provisions of the Act and the regulations made thereunder.

CHAPTER VIII
MISCELLANEOUS

Exemption from strict enforcement.

37. (1) The Board may suo motu or on an application made by an Index Provider, for reasons recorded in writing, grant relaxation from the strict enforcement of any of the provisions of these regulations, subject to such conditions as the Board deems fit to impose in the interests of investors and the securities market and for the development of the securities market, if the Board is satisfied that:

- (a) the requirement is procedural in nature; or
(b) the non-compliance is caused due to factors beyond the control of the entity;

(2) The application referred to under sub-regulation (1) shall be accompanied by a non-refundable fee of rupees fifty thousand only payable by way of direct credit in the bank account through NEFT/ RTGS/ IMPS or online payment using SEBI payment gateway or any other mode as may be specified by the Board from time to time.

Power of the Board to issue clarification

38. In order to remove any difficulties in the application or interpretation of these regulations, the Board may issue clarifications and guidelines in the form of circulars.

FIRST SCHEDULE**FORM A****SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (INDEX PROVIDERS) REGULATIONS, 2024****[See Regulation 4(2)]****APPLICATION FOR GRANT OF CERTIFICATE OF REGISTRATION**

NAME OF APPLICANT:

CONTACT NAME:

TELEPHONE NO:

FAX NO:

INSTRUCTIONS FOR FILLING UP FORM –

1. Applicants shall submit to the Board a completed application form together with appropriate supporting documents. Supporting documents shall be attested as true by a notary public.
2. This application form shall be filled in accordance with the regulations.
3. Application for registration shall be considered, only if it is complete in all respects.
4. All answers shall be typed.
5. Information that needs to be supplied in more detail may be given on separate sheets which shall be attached to the application form.
6. All signatures on the application shall be original.
7. Every page of the form as well as every additional sheet shall be initialled by the authorised signatory of the applicant.

1.0 PARTICULARS OF THE APPLICANT

- 1.1 Name, address of the registered office, address for correspondence, telephone number(s), fax number(s) and name of the contact person of the company. Address of branch offices, if any.
- 1.2 Date of incorporation of the Applicant company (enclose certificate of incorporation and memorandum and articles of association). Specify the following:
 - (a) Objects (Main & Ancillary) of the Applicant company.
 - (b) Authorized, issued, subscribed and paid up capital.
- 1.3 Category to which the Applicant company belongs to:
 - (a) Limited company - Private/Public.
 - (b) Unlimited company.If listed, names of Stock Exchanges and latest share price to be given.
- 1.4 Category to which the Applicant company belongs to (refer regulation 4)
 - (a) Company already in the business as Index Provider

2.0 ELIGIBILITY CRITERIA

- 2.1. Net worth of the company as per the last audited accounts not earlier than three months from the date of application [refer regulation 5 (b)]. Enclose a certificate by Chartered Accountant/Certified Public Accountant certifying the same.

3.0 PARTICULARS OF DIRECTORS/KEY PERSONNEL

- 3.1 Particulars of Directors of the company, which shall include name, qualification, experience, shareholding in the company and directorship in other companies.

- 3.2 Particulars of Key Personnel of the company, which shall include the name, designation in the company, qualification, previous positions held, experience, date of appointment in the company and functional areas.

4.0 INFRASTRUCTURE

- 4.1 Details of infrastructure including computing facilities, facilities for research and database available with the company and whether the existing infrastructure is adequate Any further plan for additional/ improved infrastructure to be indicated.

5.0 MAJOR SHAREHOLDERS

- 5.1 List of major shareholders (holding 5% and above of applicant directly or along with associates)

Shareholding as on:

Name of shareholder	No. of Shares held	% age of total paid up capital of the company

6.0 ASSOCIATE CONCERNS

- 6.1 Particulars of associate companies/concerns which shall include name, address, type of activity handled, nature of interest of the Applicant company in the associate, nature of interest of promoter(s) of the applicant in the associate.
- 6.2 Whether the Board has granted/ refused registration as Index Provider to any associate of the applicant, wherever applicable.
- 6.3 Give the details like date of application, date of refusal/registration, reasons for refusal etc.

7.0 BUSINESS INFORMATION OF THE COMPANY

- 7.1 History, major events and present activities. Details of experience in Index Provider related activities.
- 7.2 If the company is proposing to undertake the activity as an Index Provider for the first time, business plan of the company with projected volume of activities and income for which registration is sought to be specifically given.
- 7.3 Indices Related information (for use in Indian securities market)
- List and types of Indices offered / proposed to be offered,
 - Date of launch of 1st index
 - Detail in brief about 1st index.
 - Details of 'significant Indices' administered.
 - List and types of Indices currently used in Indian markets
 - List and types of Indices currently used globally
 - List and types of Indices Index Provider intends to offer in Indian markets
 - Date of launch and detailed methodology of Indices intended to be offered in Indian markets
- 7.4 Any other information considered relevant to the nature of services rendered by the applicant.

8.0 MISCELLANEOUS INFORMATION

- Whether, governed by any regulatory authority; if so, provide details.
- Authorization in different jurisdictions (if any).
- Any disciplinary action taken against Index Provider in last 5 years.
- Any refusal or withdrawal of authorization by a regulatory authority.
- How many employees are involved in Index administration?
- Educational Qualification of such employees.

9.0 FINANCIAL INFORMATION ABOUT THE APPLICANT

9.1 Net worth

(Rs. In Lacs)

Items	Year prior to the preceding year of the current year	Preceding year	Current year
(a) Paid-up capital			
(b) Free reserves (excluding revaluation reserves)			
Total (a) + (b)			

(c) Accumulated losses			
(d) Deferred revenue expenditure not written off.			
Net worth (a)+(b)-(c)-(d)			

9.2 Enclose audited annual accounts for the last three years. Where unaudited reports are submitted, give reasons. If minimum net worth requirement has been met after last audited annual accounts, audited statements of accounts of a later date shall also be submitted.

9.3 Name and Address of the Principal bankers of the Applicant company.

9.4 Name and address of the Auditors.

10.0 OTHER INFORMATION

10.1 Details of all pending litigations against the applicant company, directors and employees:

Nature of dispute	Name of the party	Status

10.2 Indictment or involvement in any fraud or economic offences by the applicant or any of its Directors or Key Managerial Personnel, in the last three years.

11.0 DECLARATION

11.1 Give the following declarations signed by two directors: I/We hereby apply for registration.

I/We warrant that I/We have truthfully and fully answered the questions above and provided all the information which might reasonably be considered relevant for the purposes of my registration.

I/We declare that the information supplied in the application form is complete and correct.

For and on behalf of

(Name of Applicant)

Director

Director

Enclosure:

1. Certificate of registration/ incorporation
2. Detailed recent report on adherence to International Organization of Securities Commissions Principles of Financial Benchmarks where compliance assessment is carried out by independent audit conducted by external professional

FORM B**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (INDEX PROVIDERS) REGULATIONS, 2024**

[See Regulation 9(1)]

[CERTIFICATE OF REGISTRATION]

- I. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, read with the rules and regulations made thereunder the Board hereby grants a certificate of registration to _____ as an Index Provider in accordance with and subject to the conditions in the regulations to carry out the activity of the Index administration: -
- II. Registration Code for the Index Provider is
- III. This certificate of registration shall be valid unless it is suspended or cancelled by the Board.

Place:**Date:****By Order****Sd/-****For and on behalf of Securities and
Exchange Board of India****SECOND SCHEDULE****SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (INDEX PROVIDERS) REGULATIONS, 2024**

[SEE REGULATIONS 4(2), 9(3)]

FEES**PART A****AMOUNT TO BE PAID AS FEES**

1.	Application fee for grant of registration	Rs.50,000
2.	Registration fee	Rs. 25,00,000
3.	Recurring registration fee (for every three years)	Rs.15,00,000

PART B

1. An Index Provider who has been granted a certificate of registration under regulation 9(1), shall pay the fees, as specified under item 2 of Part A, within fifteen days from the date of receipt of intimation from the Board.
2. An Index Provider who has been granted a certificate of registration, to keep its registration in force, shall pay the fee as specified under item 3 of Part A, for every three years from the sixth year of the date of grant of certificate of registration.
3. The fee specified above shall be paid by way of direct credit into the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or online payment using the Securities and Exchange Board of India payment gateway or any other mode as may be specified by the Board from time to time
4. The recurring registration fee payable every three years as specified under item no. 3 of Part A, shall be paid by the Index Provider one month before the expiry of the block for which the fee has been paid.

THIRD SCHEDULE**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (INDEX PROVIDERS) REGULATIONS, 2024**

[See Regulation 12]

CODE OF CONDUCT FOR INDEX PROVIDERS

1. An Index Provider, shall observe high standards of integrity and fairness in the conduct of its business.
2. An Index Provider shall fulfil its obligations in a prompt, ethical and professional manner.
3. An Index Provider shall at all times exercise due diligence, ensure proper care and exercise independent professional judgement in order to achieve and maintain objectivity and independence in the Index or Benchmark determination process.
4. An Index Provider shall have a reasonable and adequate basis for performing Index administration, with the support of appropriate and in depth research. It shall also maintain records to support its decisions.
5. An Index Provider shall have in place an administration process consistent with international standards to International Organization of Securities Commissions Principles.
6. An Index Provider shall keep track of all important changes in the market affecting the computation of Index and shall develop efficient and responsive systems to yield timely and accurate Index values.
7. An Index Provider shall disclose its methodology to their clients, users and the public.
8. An Index Provider shall, wherever necessary, disclose to the clients, possible sources of conflict of duties and interests, which could impair its ability to make a fair, objective and unbiased determination of Indices or Benchmarks. Further it shall ensure that no conflict of interest exists between any member of its oversight committee and that of its client.
9. An Index Provider shall not make any untrue statement, suppress any material fact or make any misrepresentation in any document, report, paper or information furnished to the Board, clients or the public at large.
10. An Index Provider shall ensure that the Board is promptly informed but no later than four working days about any action, legal proceedings etc., initiated against it for any material breach or non-compliance by it, of any law, rules, regulations and directions of the Board or of any other regulatory body or judicial authority.
11. An Index Provider shall maintain an appropriate level of knowledge and competence and abide by the provisions of the Act, regulations and circulars, which may be applicable and relevant to the activities

carried on by the Index Provider.

12. An Index Provider shall ensure that there is no misuse of any privileged information including prior knowledge of Index or Benchmark administration related decisions or changes.
13. An Index Provider shall provide adequate freedom and powers to its compliance officer for the effective discharge of his duties.
14. An Index Provider shall ensure that good corporate policies and corporate governance are in place.
15. An Index Provider shall not, generally and particularly in respect of administration of Index or Benchmark, be party to or instrumental for—
 - (a) creation of a false market;
 - (b) price rigging or manipulation; or
 - (c) dissemination of any unpublished price sensitive information in respect of securities which are listed and proposed to be listed in any stock exchange.

BABITHA RAYUDU Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./819/2023-24]